Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.V Gabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढवाल क्षेत्र)
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रो.
देहरादून – 248001
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 2761956
कार्यालय 0135–2763672–75 फैक्स–0135–2767395
ई-मेल cgrfgz@gmail.com

परिवाद सं0 188/2025

श्री खेम सिंह
निवासी– खसरा नं0 369, पुरकल गांव
पो0ओ0– भगवन्तपुर, देहरादून।

परिवादी

बनाम

अधिशासी अभियन्ता
विद्युत वितरण खण्ड (उत्तर)
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
देहरादून।

विपक्षी

कोरम

दिनांक: 27.07.2026

श्री रजनीश माथुर — तकनीकी सदस्य
श्रीमती सुन्दरी गैरोला देवली — न्यायिक सदस्य
श्री दीपक फरस्वाण — उपभोक्ता सदस्य

निर्णय

The complainant registered the complaint regarding in action by UPCL on submitted load enhancement application.

The Complainant submits and prays as under:-

"I Mr. Khem Singh , submitted a load enhancement application (Ref No. 110802250096) dated 08-Feb-2025 under RTS-2 Non-Domestic category at sub Division Anarwala, Dehradun North. Despite the lapse of considerable time, the application remains at the "Registration" stage, with no action or communication from the concerned department. Such inaction constitutes a clear

deficiency in service and is causing financial loss to my establishment. I therefore request the hon'ble forum to:

1. *Direct immediate processing of my application.*
2. *Fix responsibility for the delay.*
3. *Grant appropriate compensation for the losses and harassment caused.*

Kindly treat this matter as urgent, failing which I shall be constrained to pursue further legal remedies available under law."

उपरोक्त के संन्दर्भ में विपक्षी उपखण्ड अधिकारी ने आख्या पत्रांक 127 दिनांकित 18/04/2026 से मंच को अवगत कराया गया है कि " *श्री खेम सिंह द्वारा संयोजन संख्या 7012421173268 पर online माध्यम से भार वृद्धि हेतु आवेदन किया गया था, किन्तु उनके द्वारा किया गया आवेदन अपूर्ण था, जिसमें उपभोक्ता द्वारा कोई भी प्रपत्र upload नही किया गया था। (online आवेदन प्रपत्र संलग्न) उक्त विषयक उपभोक्ता को दूरभाष के माध्यम से अवगत करा दिया गया है कि वे उपखण्ड कार्यालय में आवश्यक प्रपत्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें। किन्तु उपभोक्ता द्वारा उपखण्ड कार्यालय में कोई भी अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये है। महोदय उपभोक्ता द्वारा भू–सम्बन्धी/आई0डी0 प्रपत्र upload अथवा उपखण्ड कार्यालय में उपलब्ध कराने के उपरान्त उपभोक्ता के संयोजन की भार वृद्धि हेतु उचित कार्यवाही की जायेगी।'*

उपरोक्त के संन्दर्भ में विपक्षी उपखण्ड अधिकारी ने आख्या पत्रांक 245 दिनांकित 01/07/2026 से मंच को अवगत कराया गया है कि " *इस कार्यालय के पत्रांक संख्या 127/EDSD(A)/DDN/ दिनांक 18.04.2026 के*

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.V Gabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र)
वि०क्रॉ०वि० गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रोड
देहरादून – 248001
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 2761956
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–2767395
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

क्रम में आपको अवगत कराना है कि श्री खेम सिंह द्वारा संयोजन संख्या 7012421173268 पर भार वृद्धि हेतु आवश्यक प्रपत्र उपखण्ड कार्यालय अनारवाला में प्रस्तुत करने के उपरान्त दिनांक 30.05.2026 को उपभोक्ता के संयोजन पर भार वृद्धि (02+03= 05 KW) कर दी गयी है।"

मंच द्वारा उभय पक्षों को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध विपक्षी की आख्या स्पष्ट है कि परिवादी के विद्युत संयोजन संख्या 7012421173268 पर आवश्यक प्रपत्र प्रस्तुत किए जाने के उपरान्त दिनाक 30.05.2026 से भार वृद्धि (02 किलोवाट से 05 किलोवाट) कर दी गई है। इस प्रकार परिवादी द्वारा प्रस्तुत शिकायत का निस्तारण विपक्षी द्वारा कर दिया गया है।

उपरोक्त के क्रम में मंच का मत है कि विपक्षी द्वारा परिवादी की शिकायत का समाधान कर दिये जाने के फलस्वरूप वाद निस्तारित किये जाने योग्य है।

आदेश

उपरोक्त परिस्थियों उपरात उक्त वाद निस्तारित किया जाता है। उभय पक्ष एक दूसरे से किसी प्रकार का वाद व्यय/प्रतिकर प्राप्त नही करेंगे। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर विद्युत औम्बड्समैन, 80, बसंत विहार, देहरादून में अपील कर सकता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

27-7-2026 | 27/07/26 | 27/07/26
(सुन्दरी गैरोला देवली) न्यायिक सदस्य | (दीपक फरस्वाण) उपभोक्ता सदस्य | (रजनीश माथुर) तकनीकी सदस्य

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.V Gabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र)
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रोड
देहरादून – 248001
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 2761956
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–2767395
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

परिवाद सं0 11/2026

श्री अनुपम सिंह,
निवासी–लेन ले गितांजली एन्क्लेव,
दून यूनिवर्सिटी, देहरादून। — परिवादी

बनाम

अधिशासी अभियन्ता
विद्युत वितरण खण्ड (रायपुर)
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
देहरादून। — विपक्षी

कोरम — दिनांक: 08.07.2026

श्री रजनीश माथुर — तकनीकी सदस्य
श्रीमती सुन्दरी गैरोला देवली — न्यायिक सदस्य
श्री दीपक फरस्वाण — उपभोक्ता सदस्य

निर्णय

The complainant registered the complaint regarding Excess Amount of Billing.

The Complainant submits and prays as under:-

"Extremely high meter reading amounting to bill 18000 a month while avg bill is 3000 was generated in Fed, March. I raised check meter complained on 7th march but no resolution is done."

उपरोक्त के संन्दर्भ में मंच द्वारा अपने पत्रांक संख्या 17 उ0शि0नि0मं0/गं0क्षें0/ फोरम दिनाकित 10.04.2026 को विपक्षी को परिवादी की शिकायत के संबंध में विधिवत नोटिस निर्गत कर लिखित उत्तर प्रस्तुत करने तथा सुनवाई में उपस्थित होने का पर्याप्त अवसर प्रदान किया गया। अभिलेखों से स्पष्ट है कि नोटिस की विधिवत तामील होने के उपरान्त भी विपक्षी की ओर से कोई अधिकारी मंच के समक्ष उपस्थित नहीं हुआ तथा न ही कोई लिखित उत्तर अथवा साक्ष्य प्रस्तुत किया गया। अतः मंच ने उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर विपक्षी के विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही करते हुए प्रकरण का गुण–दोष के आधार पर परीक्षण किया।

मच के समक्ष उपलब्ध अभिलेखों एवं परिवादी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों के परीक्षण से यह स्पष्ट होता है कि परिवादी द्वारा मीटर की जांच हेतु समय से आवेदन प्रस्तुत किए जाने के बावजूद विभाग द्वारा कोई प्रभावी कार्यवाही नहीं की गई। विपक्षी द्वारा अपना पक्ष प्रस्तुत न किए जाने के कारण परिवादी के कथनों का कोई प्रतिवाद भी उपलब्ध

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.VGabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र)
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रोड
देहरादून – 248001
दूरभाषः 0135–2769745, 2769755, 2761956
कार्यालयः 0135–2763672–75 फैक्स–0135–2767395
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

नहीं है। अतः मंच इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि विपक्षी द्वारा परिवादी की शिकायत का समयबद्ध निस्तारण न किया जाना सेवा में कमी (Deficiency of Service) है तथा परिवादी की शिकायत स्वीकार किए जाने योग्य है। उपरोक्त चर्चा के उपरान्त मंच का मत है कि परिवादी को माह 02/2026 में मीटर संख्या G934279 के आधार पर प्रेषित 2181 यूनिट के विद्युत बीजक को निरस्त कर माननीय ***UTTARAKHAND ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION*** के विनियम ***UERC (The Electricity Supply Code, Release of New Connections and Related Matters) Regulations, 2020*** के विनियम ***5.1.7(1)*** के प्रावधानों के अनुसार स्थित मीटर को आई0डी0एफ0 मानते हुए उक्त विद्युत बीजक पूर्व के तीन एम0यू0 बिल चक्रों यथा 01/2026, 12/2025 एव 11/2025 की औसत खपत 229.66 अर्थात् 230 यूनिट (140+98+451)/3 प्रति बिल चक्र के अनुसार संशोधित किया जाना तर्कसंगत एवं न्यायोचित होगा।

आदेश

मंच द्वारा विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि परिवादी को माह 02/2026 में मीटर संख्या G934279 के आधार पर प्रेषित 2181 यूनिट के विद्युत बीजक को निरस्त कर माननीय ***UTTARAKHAND ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION*** के विनियम ***UERC (The Electricity Supply Code, Release of New Connections and Related Matters) Regulations, 2020*** के विनियम ***5.1.7(1)*** के प्रावधानों के अनुसार स्थित मीटर को आई0डी0एफ0 मानते हुए उक्त विद्युत बीजक पूर्व के तीन एम0यू0 बिल चक्रों यथा 01/2026, 12/2025 एवं 11/2025 की औसत खपत 229.66 अर्थात् 230 यूनिट (140+98+451)/3 प्रति बिल चक्र के अनुसार संशोधित करे तथा अविलंब परिवादी के परिसर पर स्मार्ट मीटर स्थापित किया जाना सुनिश्चित करे। इस प्रकार संशोधित बीजक पर किसी भी प्रकार का सरचार्ज देय नहीं होगा। उभय पक्ष एक दूसरे से किसी प्रकार का वाद व्यय/प्रतिकर प्राप्त नहीं करेंगे। **इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर विद्युत औम्बड्समैन, 80 बसंत विहार, देहरादून में अपील कर सकता है।** पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

Sd/- 8-7-2026
(सुन्दरी गैरोला देवली)
न्यायिक सदस्य

Sd/- 08/07/26
(दीपक फरस्वाण)
उपभोक्ता सदस्य

Sd/- 08/07/
(रजनीश माथुर)
तकनीकी सदस्य

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.VGabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135-2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र)
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रो
देहरादून – 248001
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 2761956
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–2767395
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

परिवाद सं0 188/2025

श्री खेम सिंह — परिवादी
निवासी– खसरा नं0 369, पुरकल गांव
पो0ओ0– भगवन्तपुर, देहरादून।

बनाम

अधिशासी अभियन्ता — विपक्षी
विद्युत वितरण खण्ड (उत्तर)
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
देहरादून।

कोरम — दिनांक: 27.07.2026

श्री रजनीश माथुर — तकनीकी सदस्य
श्रीमती सुन्दरी गैरोला देवली — न्यायिक सदस्य
श्री दीपक फरस्वाण — उपभोक्ता सदस्य

निर्णय

The complainant registered the complaint regarding in action by UPCL on submitted load enhancement application.

The Complainant submits and prays as under:-

"I Mr. Khem Singh , submitted a load enhancement application (Ref No. 110802250096) dated 08-Feb-2025 under RTS-2 Non-Domestic category at sub Division Anarwala, Dehradun North. Despite the lapse of considerable time, the application remains at the "Registration" stage, with no action or communication from the concerned department. Such inaction constitutes a clear

deficiency in service and is causing financial loss to my establishment. I therefore request the hon'ble forum to:

1. *Direct immediate processing of my application.*
2. *Fix responsibility for the delay.*
3. *Grant appropriate compensation for the losses and harassment caused.*

Kindly treat this matter as urgent, failing which I shall be constrained to pursue further legal remedies available under law."

उपरोक्त के सन्दर्भ में विपक्षी उपखण्ड अधिकारी ने आख्या पत्रांक 127 दिनांकित 18/04/2026 से मंच को अवगत कराया गया है कि " *श्री खेम सिंह द्वारा संयोजन संख्या 7012421173268 पर online माध्यम से भार वृद्धि हेतु आवेदन किया गया था, किन्तु उनके द्वारा किया गया आवेदन अपूर्ण था, जिसमें उपभोक्ता द्वारा कोई भी प्रपत्र upload नही किया गया था। (online आवेदन प्रपत्र संलग्न) उक्त विषयक उपभोक्ता को दूरभाष के माध्यम से अवगत करा दिया गया है कि वे उपखण्ड कार्यालय में आवश्यक प्रपत्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें। किन्तु उपभोक्ता द्वारा उपखण्ड कार्यालय में कोई भी अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये है। महोदय उपभोक्ता द्वारा भू–सम्बन्धी/आई०डी० प्रपत्र upload अथवा उपखण्ड कार्यालय मे उपलब्ध कराने के उपरान्त उपभोक्ता के संयोजन की भार वृद्धि हेतु उचित कार्यवाही की जायेगी।'*

उपरोक्त के सन्दर्भ में विपक्षी उपखण्ड अधिकारी ने आख्या पत्रांक 245 दिनांकित 01/07/2026 से मंच को अवगत कराया गया है कि " *इस कार्यालय के पत्रांक संख्या 127/EDSD(A)/DDN/ दिनांक 18.04.2026 के*

क्रम में आपको अवगत कराना है कि श्री खेम सिंह द्वारा संयोजन संख्या 7012421173268 पर भार वृद्धि हेतु आवश्यक प्रपत्र उपखण्ड कार्यालय अनारवाला में प्रस्तुत करने के उपरान्त दिनांक 30.05.2026 को उपभोक्ता के संयोजन पर भार वृद्धि (02 + 03= 05 KW) कर दी गयी है।"

मंच द्वारा उभय पक्षों को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध विपक्षी की आख्या स्पष्ट है कि परिवादी के विद्युत संयोजन संख्या 7012421173268 पर आवश्यक प्रपत्र प्रस्तुत किए जाने के उपरान्त दिनांक 30.05.2026 से भार वृद्धि (02 किलोवाट से 05 किलोवाट) कर दी गई है। इस प्रकार परिवादी द्वारा प्रस्तुत शिकायत का निस्तारण विपक्षी द्वारा कर दिया गया है।

उपरोक्त के क्रम मे मंच का मत है कि विपक्षी द्वारा परिवादी की शिकायत का समाधान कर दिये जाने के फलस्वरूप वाद निस्तारित किये जाने योग्य है।

आदेश

उपरोक्त परिस्थियों उपरात उक्त वाद निस्तारित किया जाता है। उभय पक्ष एक दूसरे से किसी प्रकार का वाद व्यय/प्रतिकर प्राप्त नही करेंगे। **इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर विद्युत औम्बड्समैन, 80, बसंत विहार, देहरादून में अपील कर सकता है।** पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

27-7-2026
(सुन्दरी गैरोला देवली)
न्यायिक सदस्य

27/07/26
(दीपक फरस्वाण)
उपभोक्ता सदस्य

27/07/26
(रजनीश माथुर)
तकनीकी सदस्य

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.V Gabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र)
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रोड
देहरादून – 248001
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 2761956
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–2767395
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

परिवाद सं0 19/2026

श्री राकेश कुमार भाटिया
मैसर्स अल्फा पैकेजिंग
निवासी– ई0–29, यू.पी.एस.आई.डी.सी.
औद्योगिक आस्थान सेलाकुई, देहरादून। — परिवादी

बनाम

अधिशासी अभियन्ता
विद्युत वितरण खण्ड (मोहनपुर)
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
देहरादून। — विपक्षी

कोरम — दिनांक: 25.07.2026

श्री रजनीश माथुर — तकनीकी सदस्य
श्रीमती सुन्दरी गैरोला देवली — न्यायिक सदस्य
श्री दीपक फरस्वाण — उपभोक्ता सदस्य

निर्णय

परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद स्मार्ट मीटर लगने के पश्चात् अत्याधिक त्रुटिपूर्ण विद्युत बिल जारी किये जाने तथा स्मार्ट मीटर के परीक्षण न किये जाने के सम्बन्ध में योजित किया गया है।

परिवादी का कथन निम्नलिखित बिन्दुवार है:–

1. " प्रार्थी/शिकायकर्ता, M/s अल्फा पैकेजिंग, उपर्युक्त पते पर स्थित एक विधिवत स्थापित औद्योगिक उपभोक्ता है, जिसका स्वीकृत विद्युत भार 35 किलोवाट है, जिसका प्रतिनिधित्व इसके भागीदार श्री राकेश कुमार भाटिया द्वारा किया जा रहा है।

2. यह कि शिकायतकर्ता विगत कई वर्षों से औद्योगिक प्रयोजनों हेतु विद्युत का उपयोग कर रहा है तथा नियमित रूप से अपने समस्त विद्युत देयों का समयबद्ध भुगतान करता रहा है। शिकायतकर्ता का औसत मासिक विद्युत बिल प्रायः रूपये 50,000/– से 60,000/– के मध्य रहा है, जिसका सत्यापन पूर्ववर्ती बिल अभिलेखों से किया जा सकता हैं।

3 यह कि माह फरवरी 2026 एवं मार्च 2026 के लिए जारी किया गया विद्युत बिल अत्याधिक , मनमाना एवं वास्तविक उपभोग के अनुपात से असंगत है। यह उल्लेखनीय है कि इस अवधि में संयंत्र एव मशीनरी अथवा विद्युत उपभोग में कोई वृद्धि, परिवर्तन अथवा संशोधन नहीं किया गया है, जिससे इस प्रकार की असामान्य वृद्धि का कोई औचित्य सिद्घ नहीं होता।

4. यह कि यह भी निवेदन है कि लगभग अगस्त 2025 में प्रतिवादी विभाग द्वारा शिकायतकर्ता के परिसर में पूर्व स्थापित मीटर को हटाकर तथाकथित "स्मार्ट मीटर" स्थापित किया गया, जिसके पश्चात् विद्युत खपत का प्रतिरूप असामान्य एवं अव्याख्येय रूप से बढ गया है। पुनः स्पष्ट किया जाता है कि वास्तविक उपभोग में किसी प्रकार की वृद्धि नहीं हुई है।

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.V Gabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र)
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रोड
देहरादून – 248001
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 2761956
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–2767395
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

5. यह कि उक्त अनियमितता दृष्टिगत होने पर शिकायतकर्ता ने तत्परता से संबंधित विभाग से संपर्क कर स्थापित स्मार्ट मीटर की शुद्धता एवं सटीकता के परीक्षण हेतु चेक/टेस्ट मीटर स्थापित करने का अनुरोध किया तथा दिनांक 09.01.2026 को निर्धारित शुल्क सहित विधिवत आवेदन प्रस्तुत किया।

6. यह कि उपर्युक्त अनुरोध एव अनुपालन के बावजूद प्रतिवादीगण द्वारा कोई समयबद्ध कार्यवाही नहीं की गई तथा लगभग तीन माह की अनुचित विलम्ब के उपरांत भी चेक मीटर स्थापित नहीं किया गया। साथ ही, पूर्व मीटर को तुलनात्मक परीक्षण हेतु न तो संरक्षित रखा गया और न ही पुनः स्थापित किया गया, जो कि प्रतिवादीगण की घोर लापरवाही एवं सेवा में कमी (Deficiency in Service) को दर्शाता है।

7. यह कि प्रतिवादीगण की उक्त त्रुटिपूर्ण एवं मनमानी कार्यप्रणाली के कारण शिकायतकर्ता पर अनुचित एवं बढे हुए विद्युत बिल का भार डाला जा रहा है, जिससे उसे आर्थिक क्षति एवं व्यवसायिक संचालन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।

8. यह कि, प्रदेश में यह नियम लागू है की किसी भी वस्तु का यदि कोई मापन अथवा निर्धारण करना है तो वह उसे कांटे मीटर का उपयोग करने से पहले उसे अनिवार्य रूप से माप तोल विभाग से प्रमाणीकरण करना आवश्यक है लेकिन ऊर्जा विभाग द्वारा अपने मीटर को इस विभाग द्वारा प्रमाणित नहीं किया जाता है केवल अपनी लैब में ही प्रमाणित किया जाता है जो की नियमो का खुला उल्लघन है। प्रतिवादीगण के उक्त कृत्य प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतो, निष्पक्षता एवं पारदर्शिता के प्रतिकूल हैं तथा सेवा में स्पष्ट कमी के अंतर्गत आते है।

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.V Gabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र)
वि०क्रॉ०वि० गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रोड
देहरादून – 248001
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 2761956
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–2767395
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

9. यह कि शिकायतकर्ता कार्यवाही के दौरान आवश्यकतानुसार अतिरिक्त दस्तावेज, अभिलेख अथवा साक्ष्य प्रस्तुत करने का वचन देता है।

अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों के आलोक में, यह माननीय मंच से सादर प्रार्थना हैं कि न्यायहित में निम्नलिखित आदेश पारित करने की कृपा करें–

a) प्रतिवादीगण को निर्देशित किया जाए कि माह फरवरी 2026 एवं मार्च 2026 के लिए जारी विद्युत बिल का पुनरीक्षण, संशोधन एवं समुचित समायोजन किया जाए।

b) स्थापित स्मार्ट मीटर के साथ एक स्वतंत्र चेक/टेस्ट मीटर स्थापित करने का निर्देश प्रदान किया जाए, जिससे वास्तविक उपभोग का सत्यापन किया जा सके।

c) विवादित बिल राशि की वसूली एवं किसी भी प्रकार की दण्डात्मक/बलपूर्वक कार्यवाही पर अंतिम निर्णय तक स्थगन (Stay) प्रदान की जाए।

d) शिकायतकर्ता द्वारा इस वाद के अनुसरण में वहन किये गए वाद व्यय एवं अन्य आकस्मिक खर्चों की प्रतिपूर्ति प्रदान की जाए।

e) प्रतिवादीगण को भविष्य में ऐसी मनमानी एवं अवैधानिक कार्यवाही से विरत रहने हेतु निर्देशित किया जाए तथा पुनरावृत्ति की स्थिति में संबंधित अधिकारियों के विरूद्ध उपयुक्त दंडात्मक कार्यवाही की जाए।

f) स्थापित मीटर का विधिवत अंशांकन पर प्रस्तुत करने का निर्देश दिया जाए।"

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.V Gabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail - cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र)
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रोड
देहरादून – 248001
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 2761956
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–2767395
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

g) त्रुटिपूर्ण एवं अत्याधिक बिल जारी करने हेतु लागू नियमों के अंतर्गत प्रतिवादीगण पर दंड आरोपित किया जाए तथा शिकायतकर्ता को समुचित क्षतिपूर्ति प्रदान की जाए।

h) न्यायहित में माननीय मंच द्वारा उचित एवं उपयुक्त अन्य आदेश/निर्देश पारित किये जाएं।

उपरोक्त के सन्दर्भ मे विपक्षी अधिशासी अभियन्ता ने आख्या पत्रांक 2167 दिनांकित 28/04/2026 से मच को अवगत कराया गया है कि *"इस कार्यालय द्वारा आवश्यक कार्यवाही करते हुए पत्रांक संख्या 230/वि0वि0ख0/मोहनपुर दिनांक 19.01.2006 के माध्यम से सहायक अभियता (मीटर), विद्युत परीक्षणशाला, प्रेमनगर, देहरादून को उपभोक्ता परिसर पर चैक मीटर स्थापित करने हेतु निर्देशित किया गया था। जिस पर सहायक अभियन्ता (मीटर) द्वारा अपने कार्यालय पत्रांक 454/वि0प0शा0/मोहनपुर/देदून दिनांक 20.03.2026 के द्वारा अवगत कराया गया है कि दिनांक 16.03.2026 को संयोजन पर चैक मीटर स्थापित करने के लिए सम्बन्धित अवर अभियन्ता (मीटर) द्वारा स्थल पर कार्य प्रारंभ किया गया, किन्तु स्थल पर उपस्थित उपभोक्ता के प्रतिनिधि श्री राजेश उर्फ गुड्डू द्वारा उपभोक्ता से दूरभाष पर वार्ता की गई। वार्ता के दौरान उपभोक्ता द्वारा प्रतिनिधि को निर्देशित किया गया कि संयोजन पर स्मार्ट मीटर (चैक मीटर) न लगाया जाए तथा संयोजन पर नॉन–स्मार्ट मीटर (चैक मीटर) स्थापित किया जाए, अन्यथा चैक मीटर का कार्य न करवाया जाए। जिस कारण संयोजन पर चैक मीटर का कार्य पूर्ण नहीं हो पाया।"*

उपरोक्त के संन्दर्भ में विपक्षी अधिशासी अभियन्ता ने आख्या पत्राक 2663 दिनांकित 23/05/2026 से मच को पुनः अवगत कराया गया है कि *"सहायक अभियन्ता (मीटर) विद्युत परीक्षण शाला (ग्रा0), मोहनपुर, द्वारा दिनांक 06.05.2026 को उपभोक्ता श्री राकेश भाटिया, मैसर्स अल्फा पैकेजिंग, निवासी एम–29, SIDCUL इंडस्ट्रियल*

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.V Gabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र)
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रोड
देहरादून – 248001
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 2761956
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–2767395
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

एरिया, सेलाकुई, जनपद देहरादून, संयोजन सं0 MP0K000006774 पर स्थापित मीटर सं0 5711959 की वास्तविक खपत के तुलनात्मक अध्ययन हेतु चैक मीटर 8102047 स्थापित किया गया था। तत्पश्चात् दिनांक 22.05.2026 उक्त चैक मीटर को फाइनल किया गया। मुख्य मीटर द्वारा अंकित की गयी ऊर्जा तथा चैक मीटर द्वारा अंकित की गयी ऊर्जा के तुलनात्मक अध्ययन से ज्ञात हुआ कि मेन मीटर, चैक मीटर के सापेक्ष 1.13% Slow पाया गया।"

मंच द्वारा उभय पक्षों को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध परिवादी के शिकायती पत्र से स्पष्ट है कि परिवादी की मूल शिकायत है कि उनके औद्योगिक परिसर में पूर्व स्थापित इलेक्ट्रॉनिक मीटर के स्थान पर स्मार्ट मीटर स्थापित किए जाने के पश्चात् माह फरवरी 2026 एवं मार्च 2026 के लिये जारी विद्युत बिलों में असामान्य वृद्धि हुई है जबकि उनके द्वारा इस अवधि में संयंत्र एवं मशीनरी अथवा विद्युत उपभोग मे कोई वृद्धि, परिवर्तन अथवा संशोधन नहीं किया गया।

परिवादी का आरोप है कि स्मार्ट मीटर द्वारा त्रुटीवश पावर फैक्टर कम प्रदर्शित किया जा रहा है, जिससे विद्युत बिल वास्तविक खपत से अधिक निर्गत किए जा रहे हैं। परिवादी ने विवादित बिलों के संशोधन, स्वतंत्र चेक मीटर स्थापित करने तथा अन्य राहत प्रदान किए जाने का अनुरोध किया है।

विपक्षी द्वारा लिखित उत्तर में उक्त आरोपों का खण्डन करते हुए कहा गया है कि परिवादी को स्मार्ट मीटर द्वारा रिकॉर्ड की गई वास्तविक ऊर्जा खपत के आधार पर ही बिल निर्गत किए गए हैं। विपक्षी के अनुसार मीटर की कार्यप्रणाली में कोई तकनीकि दोष नहीं पाया गया है तथा बिल प्रचलित टैरिफ आदेश एवं लागू विनियमों के अनुसार ही निर्गत किये गये है।

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.V.Gabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769735, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र)
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, काँवली रोड
देहरादून – 248001
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 2761956
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–2767395
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

मंच ने शिकायत पत्र, विपक्षी के उत्तर, उभक्ष पक्षों द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों तथा सुनवाई के दौरान दिए गए मौखित तर्कों का सम्यक् परीक्षण किया।

अभिलेखों से यह स्पष्ट है कि परिवादी का संपूर्ण विवाद मुख्यतः स्मार्ट मीटर के स्थापित किये जाने के उपरान्त पावर फैक्टर में आई कमी एवं उसके कारण विद्युत बिलो मे वृद्धि को लेकर है। परिवादी का कहना है कि उनके द्वारा अपने औद्योगिक इकाई में किसी प्रकार की भार वृद्धि/कमी नहीं की गई एवं कैपेसिटर बैंक भी पूर्वतः ही लगे है, फिर भी स्मार्ट मीटर लगने के बाद माह फरवरी 2026 एवं मार्च 2026 में पावर फैक्टर में अप्रत्याशित कमी दर्ज की गई जो कि मीटर की शुद्धता पर शंका पैदा करता है।

मंच का मत है कि स्मार्ट मीटर उपभोक्ता के विद्युत तंत्र में उपलब्ध वास्तविक विद्युत पैरामीटर जैसे ऊर्जा उपभोग, वोल्टेज, करंट ,पावर फैक्टर आदि का अभिलेखन करता है। यदि उपभोक्ता के परिसर में स्थापित कैपिसिटर बैंक पर्याप्त क्षमता के नहीं है, एवमं उनका अनुरक्षण समुचित रूप से नहीं किया गया है अथवा वह वर्तमान तकनीकि आवश्यकताओं के अनुरूप कार्य नहीं कर रहे है, तो उसका प्रतिकूल प्रभाव पावर फैक्टर पर पड़ना स्वाभाविक है। क्योकि उपभोक्ता की बिलिंग KVAH में हो रही है, कम पावर फैक्टर KVAH को बढाता है जिससे उस अवधि के विद्युत बिल में ऊर्जा खपत अधिक आती है और उपभोक्ता पर विपरीत वित्तीय प्रभाव पड़ता है।

पावर फैक्टर सुधार औद्योगिक उपभोक्ता का स्वंय का दायित्व है, इसलिए मंच का मानना है कि औद्योगिक उपभोक्ता अपने लोड के अनुसार उचित Capacitor Bank Auto Mode में स्थापित करे। यह सिस्टम वास्तविक

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.V Gabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपमोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र)
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रोड
देहरादून – 248001
दूरभाषः 0135–2769745, 2769755, 2761956
कार्यालयः 0135–2763672–75 फैक्स–0135–2767395
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

समय मे लोड में होने वाले परिवर्तनों के आधार पर कैपेसिटर बैंको को चालू और बंद कर के स्वचलित रूप से उच्च पावर फैक्टर को लगभग एक के बराबर बनाए रखता है जिस से KVAH बिलिंग में कमी आती है। यदि पावर फैक्टर में कमी उपभोक्ता के विद्युत तंत्र की स्थिति के कारण उत्पन्न होती है तो उसका वित्तीय प्रभाव वितरण लाइसेंसी पर आरोपित नहीं किया जा सकता।

मंच द्वारा परिवादी के परिसर पर स्मार्ट मीटर 5711959 स्थापित किये जाने के पश्चात् माह जनवरी 2025 से जून 2026 के विद्युत बिलों का अवलोकन किया गया। उक्त बिलों के अवलोकन करने के उपरान्त मंच के संज्ञान में आया कि 31.01.2025 से 31.01.2026 तक परिवादी की औद्योगिक ईकाई का पावर फैक्टर लगभग एक के आसपास रहा एवं माह फरवरी 2026 एवं मार्च 2026 में पावर फैक्टर क्रमशः 0.51 एवं 0.53 दर्ज किया गया। इसके उपरान्त माह अप्रैल, मई, जून 2026 में पावर फैक्टर पुनः लगभग एक के आसपास दर्ज किया गया है। उपरोक्त विशलेषण के उपरान्त मंच का मत है कि केवल दो माह के पावर फैक्टर कम आने से मीटर की शुद्धता पर संदेह नहीं किया जा सकता है। सम्भवतः परिवादी के औद्योगिक परिसर पर स्थापित कैपिस्टर बैंक में कोई खराबी उत्पन्न हुई जिस कारण उक्त दो महीनों में कम पावर फैक्टर दर्ज हुआ।

विपक्षी द्वारा प्रस्तुत चैक मीटर रिपोर्ट से भी यह स्पष्ट होता है कि स्मार्ट मीटर द्वारा वास्तविक ऊर्जा उपभोग का ही अभिलेखन किया गया है तथा बिलिंग उसी के आधार पर की गई है। मंच के समक्ष परिवादी द्वारा ऐसा कोई विश्वनीय तकनीकि अथवा दस्तावेजी साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराया गया जिससे यह निष्कर्ष निकाला जा सके कि स्मार्ट मीटर की रिकॉर्डिंग अथवा बिलिंग प्रक्रिया त्रुटिपूर्ण है।

जहॉ तक परिवादी द्वारा Genus Company के अलावा किसी अन्य कम्पनी का चैक मीटर लगाये जाने की मॉग का प्रश्न है, केवल इसलिए कि Genus Company पर उस का भरोसा नहीं है। इस पर मंच का मत है कि बिना किसी ठोस तकनीकी साक्ष्य के Genus Company के मीटर पर उसकी विश्वसनीयता पर संदेह व्यक्त नहीं किया जा सकता। अतः इस आधार पर विपक्षी की बिलिंग प्रक्रिया को अवैध नहीं ठहराया जा सकता।

उपरोक्त समस्त तथ्यों, अभिलेखों एवं उपलब्ध साक्ष्यों के समग्र परीक्षण के उपरान्त मंच इस मत का है कि विपक्षी द्वारा परिवादी को स्मार्ट मीटर में दर्ज वास्तविक विद्युत उपभोग के आधार पर ही विद्युत बिल निर्गत किए गए है। परिवादी यह सिद्ध करने में असफल रहा है कि विवादित बिल किसी तकनीकि त्रुटि, मीटर दोष अथवा सेवा में कमी के कारण उत्पन्न हुए है। इस परिस्थिति में परिवादी को कोई अनुतोष प्रदान नहीं किया जा सकता है। अतः वाद खारिज किये जाने योग्य है।

आदेश

उपरोक्त परिस्थियों उपरात उक्त वाद खारिज किया जाता है। विपक्षी द्वारा निर्गत विवादित विद्युत बिलों को विधिसम्मत एवं अभिलेखों के अनुरूप मानते हुए यथावत् रखा जाता है। मंच का मत है कि Power Factor सुधार एव कैपेसिटर बैंक का समुचित संचालन औद्योगिक उपभोक्ता का दायित्व है। अतः परिवादी को सलाह दी जाती है कि अगर स्थापित नहीं है तो वह अपने परिसर में अपने लोड के अनुसार उचित **Capacitor Bank Auto Mode** में स्थापित करे। यह सिस्टम वास्तविक समय मे लोड़ में होने वाले परिवर्तनों के आधार पर कैपेसिटर बैंको को चालू और बंद कर के स्वचलित रूप से पावर फैक्टर को लगभग एक के बराबर बनाए रखता है, जिस से KVAH बिलिंग में कमी आती है, और उपभोक्ता पर वित्तीय भार भी नहीं पडता है। उभय पक्ष एक दूसरे से

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.V Gabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र)
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रोड
देहरादून – 248001
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 2761956
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–2767395
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

किसी प्रकार का वाद व्यय/प्रतिकर प्राप्त नहीं करेंगे। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर विद्युत औम्बड्समैन, 80, बसंत विहार, देहरादून में अपील कर सकता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

25-7-2026
(सुन्दरी गैरोला देवली)
न्यायिक सदस्य

25/07/26
(दीपक फरस्वाण)
उपभोक्ता सदस्य

(रजनीश माथुर)
तकनीकी सदस्य

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.V Gabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र)
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिह ऊर्जा भवन, कॉवली रो
देहरादून – 248001
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 2761956
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–2767395
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

परिवाद सं0 20 / 2026

श्रीमती भूरी देवी | परिवादी
निवासी– रायपुर रोड,सपेरा बस्ती
नियर शान्ति विहार, देहरादून।

बनाम

अधिशासी अभियन्ता | विपक्षी
विद्युत वितरण खण्ड (उत्तर)
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
देहरादून।

कोरम | **दिनांक: 17.07.2026**

श्री रजनीश माथुर — **तकनीकी सदस्य**
श्रीमती सुन्दरी गैरोला देवली — **न्यायिक सदस्य**
श्री दीपक फरस्वाण — **उपभोक्ता सदस्य**

निर्णय

परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद विद्युत बिल अत्याधिक आने के सम्बन्ध में योजित किया गया है।

परिवादी का कथन है कि *" वर्तमान में मेरे घर पर सयोजन सख्या 7021324855037 जो कि श्रीमती भूरी देवी, रायपुर रोड सपेरा बस्ती के नाम से है जो काफी समय से बिल अधिक आ रहे है। जिसके कारण हमारा कई बार कनेक्शन भी काट दिया गया है। मेरे द्वारा उक्त सयोजन पर 50000 रूपये जमा कर दिये गये है। महोदय मै एक गरीब महिला हूँ अधिक बिल आने से काफी परेशानियो का सामना कर रही हूँ। अतः आप से अनुरोध है कि मेर विद्युत बिल को ठीक करवाने की कृपा की जाये।"*

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.V Gabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135-2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र)
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रोड
देहरादून – 248001
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 2761956
कार्यालय: 0135–2763872–75 फैक्स–0135–2767395
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

उपरोक्त के संन्दर्भ में विपक्षी उपखण्ड अधिकारी ने आख्या पत्रांक 51 दिनांकित 30/04/2026 से मंच को बिन्दुवार आख्या से अवगत कराया गया है:–

1 उक्त परिसर पर संयोजन सं0 7021324855037 जो कि श्रीमती भूरी देवी, निवासी– रायपुर रोड, सपेरा बस्ती, नियर शान्ति विहार, देहरादून के नाम से है।

2. उक्त परिसर पर दिनांक 14.05.2025 को स्मार्ट मीटर लगाया गया। उपभोक्ता का 09/2025 एवं 10/2025 का विद्युत बिल अत्याधिक आने के सम्बन्ध मे शिकायत की गयी थी। उपरोक्त के क्रम में उपभोक्ता का दिनांक 30.04.2025 से 31.12.2025 तक बिल को संशोधित कर दिया गया।

3 उक्त शिकायत के क्रम मे स्मार्ट मीटर के डाटा अलार्म की जांच की गयी जिसमें उपभोक्ता का दिनांक 29.10.2025 से लगातार अर्थ लोड पाया गया।"

मंच द्वारा उभय पक्षों को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। परिवादी का कथन है कि विगत कई बिलिंग चक्रों से अत्यधिक राशि के विद्युत प्राप्त हो रहे हैं, जिसके कारण उनका विद्युत संयोजन कई बार विच्छेदित भी किया गया। परिवादी द्वारा विवादित देयता के सापेक्ष लगभग रू0 50,000.00 की राशि भी जमा की जा चुकी है, तथापि विवाद का समाधान नहीं हुआ।

विपक्षी उपखण्ड अधिकारी ने अपने प्रतिउत्तर में अवगत कराया कि परिवादी के परिसर पर दिनाक 14.05.2025 को स्मार्ट मीटर लगाया गया। परियादी द्वारा माह 09/2025 एवं 10/2025 का विद्युत बिल अत्यधिक आने के संबंध में शिकायत की गयी थी, जिसके क्रम में परिवादी का विद्युत बिल संशोधित कर दिया गया। उक्त

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.V Gabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र)
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रोड
देहरादून – 248001
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 2761956
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–2767395
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

शिकयत के क्रम में स्मार्ट मीअर के डाटा अलार्म की जॉच की गयी जिसमें परिवादी का दिनाक 29.10.2025 से लगातार अर्थ लोड पाया गया।

उपरोक्त के क्रम में मंच का मत है कि विपक्षी द्वारा केवल स्मार्ट मीटर के डेटा अलार्म में अर्थ लोड पाये जाने के आधार पर अतिरिक्त भार एवं असामान्य विद्युत उपभोग का दावा किया गया है। तथापित अभिलेखों पर ऐसा कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है जिससे यह सिद्ध हो कि माननीय् UERC के विनियम 5.1.2(5) के अनुरूप विपक्षी द्वारा परिवादी को अर्थ लीकेज सबंधी सूचना उपलब्ध कराई गई। अतः प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत केवल डाटा अलार्म की जॉच के उपरानत पाये गये अर्थ लोड के आधार पर विवादित बिल को वैध नहीं माना जा सकता है।

यहॉ पर यह उल्लेख करना आवश्यक है कि माननीय **Uttarakhand Electricity Regulatory Commission** के विनियम **UERC (The Electricity Supply Code, Release of New Connections and Related Matters) Regulations, 2020** के विनियम 5.1.2(5) में अर्थिंग संबंधी मामलो की बिलिंग हेतु स्पष्ट उल्लेख किया गया है जो कि निम्वत् है–

5.1.2(5) "Time of Day (ToD) meters, whever installed shall be read only through Meter Reading Instrument (MRI). **It shall be the duty of Licensee's official to read tha meter and check condition of LEDs on electronic meters. In case Earth Leakage (E/L) LED indicator,provided on electronic meters, is found 'ON' he shall inform the consumer that there is leakage in the premises and advise him to get his**

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.V Gabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र)
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रो
देहरादून – 248001
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 2761956
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–2767395
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

wiring checked and leakage removed. He shall also inform concerned officer of the Licensee about the leakage."

[Emphasis Added]

उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि विपक्षी द्वारा उक्त प्रकरण में माननीय UERC के उपरोक्त विनियमों का उलंघन किया गया है, जिसे मंच स्वीकार नही कर सकता है। अत: इस परिस्थिति में परिवादी को दिनांक 05.09.2025 से 04.01.2026 अर्थात् 4 बिल चक्रों में प्रेषित बिलों को UERC के उपरोक्त वर्णित विनियम के दृष्टिगत निरस्त कर उक्त विद्युत बीजक पूर्व के तीन एम0यू0 बिल चक्रों यथा 08/2024, 06/2024 एवं 04/2024 की औसत खपत 14.09 (967+516+843)/165 अर्थात् 14 यूनिट प्रति दिन के अनुसार संशोधित किया जाना तर्कसंगत एवं न्यायोचित होगा।

आदेश

मंच द्वारा विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि परिवादी को दिनांक 05.09.2025 से 04.01.2026 अर्थात् 4 बिल चक्रों में प्रेषित बिलों को UERC के उपरोक्त वर्णित विनियम के दृष्टिगत निरस्त कर उक्त विद्युत बीजक पूर्व के तीन एम0यू0 बिल चक्रो यथा 08/2024, 06/2024 एवं 04/2024 की औसत खपत 14.09 (967+516+843)/165 अर्थात् 14 यूनिट प्रति दिन (967+516+843)/165 प्रति दिन के अनुसार संशोधित करे। इस प्रकार संशोधित बीजक पर किसी भी प्रकार का सरचार्ज देय नहीं होगा। आदेश की अनुपालन आख्या 30 दिनों के अंतर्गत मंच के समक्ष प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित करें। उभय पक्ष एक दूसरे से किसी प्रकार का वाद व्यय/प्रतिकर प्राप्त नहीं करेंगे। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर विद्युत औम्बड्समैन, 80 बसंत विहार, देहरादून में अपील कर सकता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

17-7-2026
(सुन्दरी गैरोला देवली)
न्यायिक सदस्य

17/07/26
(दीपक फरस्वाण)
उपभोक्ता सदस्य

17/07/26
(रजनीश माथुर)
तकनीकी सदस्य

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.V Gabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र)
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रोड
देहरादून – 248001
दूरभाषः 0135–2769745, 2769755, 2761956
कार्यालयः 0135–2763672–75 फैक्स–0135–2767395
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

परिवाद सं0 23 / 2026

श्रीमती निशा गर्ग पत्नी श्री विपिन कुमार — परिवादी
निवासी– विरंजीवपुर, विकासनगर,
देहरादून।

बनाम

अधिशासी अभियन्ता — विपक्षी
विद्युत वितरण खण्ड (विकासनगर)
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
देहरादून।

कोरम — दिनांकः **27.07.2026**

श्री रजनीश माथुर — तकनीकी सदस्य
श्रीमती सुन्दरी गैरोला देवली — न्यायिक सदस्य
श्री दीपक फरस्वाण — उपभोक्ता सदस्य

निर्णय

परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद विद्युत बिल संशोधित किये जाने के सम्बन्ध में योजित किया गया है।

परिवादी का कथन है कि *" दिनांक 26.02.2026 को विद्युत विभाग के कर्मचारी द्वारा सूचना पर कि आपका उक्त संयोजन पर विद्युत बिल रू0 15988/– (पन्द्रह हजार नौ सौ अट्ठासी) का बकाया है। प्रार्थी के पति श्री विपिन कुमार गर्ग द्वारा सम्बन्धित उपखण्ड अधिकारी विद्युत वितरण खण्ड विकासनगर से संपर्क किया गया तथा उसी दिन प्रार्थिनी को ज्ञात हुआ कि उसके यहाँ विद्युत विभाग के कर्मचारी/कम्पनी/ठेकेदार द्वारा स्मार्ट मीटर लगाया गया था जिसकी मीटर लगाते समय कोई जानकारी प्रार्थिनी या उसके किसी प्रतिनिधि को*

विद्युत विभाग द्वारा नहीं दी गई थी। दिनांक 27.02.2026 को उपखण्ड अधिकारी विद्युत वितरण खण्ड विकासनगर द्वारा दिये गये मोबाईल नम्बरों पर सम्पर्क करने पर जीनस कम्पनी के कर्मचारियों ने जब जांच की तो उन्होंने पाया कि मीटर से जो लाईन उपभोक्ता यानि प्रार्थिनी की सप्लाई में उक्त मीटर लगाने वाले कर्मचारियों द्वारा जोडी गई है वह उल्टी यानि फेस में अर्थ व अर्थ में फेस जोड़ दिया गया जिसके कारण उक्त बिल अधिक आया है व जीनस कम्पनी के कर्मचारियों द्वारा उक्त संयोजन को ठीक किया गया तो बताया गया कि अब आपका बिल सही आयेगा। महोदय इससे पूर्व प्रार्थिनी का बिल 400/– से 500/– रूपये प्रतिमाह के लगभग आता था परन्तु इस गलत संयोजन के कारण उक्त बिल तीन माह में ही 23486/– का आ गया है। जबकि इसके बाद 28 फरवरी से 31 मार्च माह बिल 349.74 का आया है। महोदय प्रार्थिनी उक्त भारी–भरकम बिल जो स्मार्ट मीटर लगाने वाले कर्मचारी/कम्पनी की गलती से गलत संयोजन जोड़ने से आया है जो जमा करने में असमर्थ है ऊपर से उस पर बिजली विभाग द्वारा हर माह ब्याज जोडा जा रहा है जिसे सही किया जाना अति आवश्यक है। प्रार्थिनी द्वारा विभाग को दिनांक 28.02.2026 तथा दिनांक 10.03.26 को उक्त सम्बन्ध में लिखित में पत्र दिया गया था परन्तु अभी तक उनके द्वारा प्रार्थिनी को कोई उत्तर नहीं दिया गया तथा विपरीत इसके विभाग द्वारा कर्मचारी को भेजकर प्रार्थिनी का विद्युत संयोजन विच्छेदित कर दिया गया जो अभी तक विच्छेदित है। अतः श्रीमान जी से प्रार्थना है कि प्रार्थिनी के उक्त भारी–भरकम बिल को वास्तविक उपभोग जो पूर्व व पश्चात के एवरेज बिल के अनुसार बनता है उस राशि को जमा करने के आदेश देने की कृपा करें तथा उक्त बिल को माफ कराने की कृपा करें तथा प्रार्थिनी के

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.V Gabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र)
वि०क्रो०वि० गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रो
देहरादून – 248001
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 2761956
कार्यालयः 0135–2763672–75 फैक्स–0135–2767395
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

परिसर में बिना प्रार्थिनी को सूचित किये मीटर बदलने पर उक्त कम्पनी/विभाग ठेकेदार पर जो भी उचित कार्यवाही हो करने की कृपा करें तथा प्रार्थिनी का विद्युत संयोजन जोड़ने के भी आदेश देने की कृपा करें।"

उपरोक्त के सन्दर्भ में विपक्षी सहायक अभियन्ता ने आख्या पत्रांक 3321 दिनांकित 06/05/2026 से मंच को बिन्दुवार आख्या से अवगत कराया गया है –

1. *" उपभोक्ता का संयोजन संख्या VN23137653718 है, जिसका विद्युत भार 2.00 कि०वा० है।*
2. *उपभोक्ता के परिसर पर दिनांक 24.06.2025 को स्मार्ट मीटर स्थापित किया गया। उपभोक्ता को प्रत्येक माह बीजक रीडिंग के आधार पर निर्गत किये गये है।*
3. *उपभोक्ता के मीटर की जाच करने पर पाया गया कि उपभोक्ता के परिसर पर अर्थ लीकेज है।*
4. *उपभोक्ता के परिक्षेत्र के भीतर विद्युत कार्य त्रुटि के कारण यदि यू०पी०सी०एल० की सम्पत्ति को कोई अपहानि/हानि होती है तो सभी दायित्व उपभोक्ता द्वारा वहन किये जायेंगे।"*

मंच द्वारा उभय पक्षों को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। परिवादी का कथन है कि उन्हे दिसंबर, जनवरी एवं फरवरी के बिल चक्रों से अत्यधिक राशि के विद्युत प्राप्त होने पर जब उनके द्वारा उपखण्ड अधिकारी विद्युत वितरण खण्ड विकासनगर से सपर्क किया गया तो उपखण्ड अधिकरी द्वारा उन्हें जीनस कंपनी के कर्मचारियों का मोबाईल नंबर उपलब्ध कराया गया, जब उनके द्वारा जीनस कंपनी के कर्मचारियों को बिल अधिक आने के सबंध में अवगत कराया गया तो उक्त कर्मचारियों द्वारा जॉच की गई एवं पाया कि स्मार्ट मीटर लगाने वाले कर्मचारियों द्वारा जोड़ी गई सप्लाई उल्टी यानि फेस में अर्थ व अर्थ में फेस

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.VGabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र)
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रोड
देहरादून – 248001
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 2761956
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–2767395
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

जोड़ दिया गया जिसके कारण उक्त बिल अधिक आया है व जीनस कम्पनी के कर्मचारियों द्वारा उक्त सयोजन को ठीक किया गया तो बताया गया कि अब आपका बिल सही आयेगा।,

विपक्षी सहायक अभियन्ता (रा0) ने अपने प्रतिउत्तर में अवगत कराया कि उपभोक्ता के मीटर की जांच करने पर पाया गया कि उपभोक्ता के परिसर पर अर्थ लीकेज है।

उपरोक्त के क्रम में मंच का मत है कि विपक्षी द्वारा केवल स्मार्ट मीटर के डेटा अलार्म में अर्थ लोड पाये जाने के आधार पर असामान्य विद्युत उपभोग का दावा किया गया है। तथापित अभिलेखो पर ऐसा कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है जिससे यह सिद्ध हो कि माननीय UERC के विनियम 5.1.2(5) के अनुरूप विपक्षी द्वारा परिवादी को अर्थ लीकेज संबंधी सूचना उपलब्ध कराई गई। अतः प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत केवल डाटा अलार्म की जॉच के उपरान्त पाये गये अर्थ लोड के आधार पर विवादित बिल को वैध नहीं माना जा सकता है।

यहॉं पर यह उल्लेख करना आवश्यक है कि माननीय **Uttarakhand Electricity Regulatory Commission** के विनियम **UERC (The Electricity Supply Code, Release of New Connections and Related Matters) Regulations, 2020** के विनियम 5.1.2(5) में अर्थिंग संबंधी मामलों की बिलिंग हेतु स्पष्ट उल्लेख किया गया है जो कि निम्वत् है–

5.1.2(5) "Time of Day (ToD) meters, whever installed shall be read only through Meter Reading Instrument (MRI). **It shall be the duty of Licensee's official to read tha meter and check condition of LEDs on electronic meters. In case Earth Leakage (E/L) LED indicator,provided on electronic meters, is found 'ON' he shall**

inform the consumer that there is leakage in the premises and advise him to get his wiring checked and leakage removed. He shall also inform concerned officer of the Licensee about the leakage."

[Emphasis Added]

उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि विपक्षी द्वारा उक्त प्रकरण में मान्नीय UERC के उपरोक्त विनियमों का उलंघन किया गया है, जिसे मंच स्वीकार नही कर सकता है। अतः इस परिस्थिति में परिवादी को दिनांक 03.01.2026 से 02.03.2026 अर्थात् 3 बिल चक्रों में प्रेषित बिलों को UERC के उपरोक्त वर्णित विनियम के दृष्टिगत निरस्त कर उक्त विद्युत बीजक पूर्व के तीन एम0यू0 बिल चक्रों यथा 11/2025, 10/2025 एव 09/2025 की औसत खपत 02.54 (175+74+46)/116 अर्थात् 03 यूनिट प्रति दिन के अनुसार संशोधित किया जाना तर्कसंगत एवं न्यायोचित होगा।

आदेश

मंच द्वारा विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि परिवादी को दिनांक 03.01.2026 से 02.03.2026 अर्थात् 3 बिल चक्रो में प्रेषित बिलो को UERC के उपरोक्त वर्णित विनियम के दृष्टिगत निरस्त कर उक्त विद्युत बीजक पूर्व के तीन एम0यू0 बिल चक्रों यथा 11/2025, 10/2025 एवं 09/2025 की औसत खपत 02.54 (175+74+46)/116 अर्थात् 03 यूनिट प्रति दिन के अनुसार संशोधित सशोधित करे। इस प्रकार सशोधित बीजक पर किसी भी प्रकार का सरचार्ज देय नहीं होगा। आदेश की अनुपालन आख्या 30 दिनों के अंतर्गत मंच के समक्ष प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित करें। उभय पक्ष एक दूसरे से किसी प्रकार का वाद व्यय/प्रतिकर प्राप्त नहीं करेंगे। **इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर विद्युत औम्बड्समैन, 80 बसंत विहार, देहरादून में अपील कर सकता है।** पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

27-7-2026
(सुन्दरी गैरोला देवली)
न्यायिक सदस्य

27/07/26
(दीपक फरस्वाण)
उपभोक्ता सदस्य

27/07/26
(रजनीश माथुर)
तकनीकी सदस्य

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.VGabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र)
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रो
देहरादून – 248001
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 2761956
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–2767395
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

परिवाद सं0 25/2026

श्रीमती नीशा पत्नी स्व0 कुलदीप सिंह — परिवादी
निवासी– वार्ड नं0–06, बाबूगढ़ निकट
आशा राम वैदिक इण्टर कॉलेज नगर पालिका
पो0ओ0 विकासनगर, देहरादून।

बनाम

अधिशासी अभियन्ता — विपक्षी
विद्युत वितरण खण्ड (विकासनगर)
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
देहरादून।

कोरम — दिनांक: 10.07.2026

श्री रजनीश माथुर — तकनीकी सदस्य
श्रीमती सुन्दरी गैरोला देवली — न्यायिक सदस्य
श्री दीपक फरस्वाण — उपभोक्ता सदस्य

निर्णय

परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद घरेलू विद्युत मीटर द्वारा अत्याधिक मीटर रीडिंग दिखाये जाने के सम्बन्ध में योजित किया गया है।

परिवादी का कथन है कि *प्रार्थिनी के पति (कुलदीप सिंह पुत्र स्व0 सोहन लाल) के नाम से घरेलु विद्युत कनेक्शन है जिनकी मृत्यु दिनांक 06.08.2024 को हो चुकी है। प्रार्थिनी की विद्युत कनेक्शन संख्या–VN23121016233 है जिसका उपभोग प्रार्थिनी द्वारा किया जा रहा है। महोदय अक्टूबर माह वर्ष 2024 का प्रार्थिनी की मीटर रीडिंग 42178 थी तथा प्रार्थीनी का पिछला बकाया बिल की धनराशि मु0–27,293/- रूपये*

थी जिसके कारण प्रार्थिनी का विद्युत कनेक्शन दिनांक 22.10.2024 को काट दिया गया । महोदय जब प्रार्थिनी उक्त बिल की देय धनराशि का भुगतान करने दिनांक 19.11.2024 को गयी तो प्रार्थिनी को बिजली ऑफिस मे बताया गया कि अब बिल भुगतान की देय धनराशि मु0-33,247/- रूपये हो चुकी है। किन्तु मुझ प्रार्थिनी ने अपने साथ ले जायी गई मु0-27,293/-रूपये की धनराशि जमा करा दी, महोदय प्रार्थिनी के प्रार्थना करने के बाद भी प्रार्थिनी का विद्युत कनेक्शन नहीं जोड़ा गया महोदय प्रार्थिनी ने अपने जेठ जी श्री संजय कुमार के व्यवसायिक विद्युत कनेक्शन से अपने घर की बिजली दिनाक 22.10.2024 से दिनांक 19.10.2025 तक इस्तेमाल करती रही। महोदय जब प्रार्थिनी ने बकाया धनराशि मु0-3,281/- रूपये का भुगतान दिनाक 19.10.2025 को कर दिया तब दिनांक 20.10.2025 को प्रार्थिनी का विद्युत कनेक्शन जोड़ा गया महोदय जब दिनांक 30.12.2025 का मीटर रीडर द्वारा प्रार्थिनी को बिल दिया गया तब प्रार्थिनी को जानकारी हुई कि जब दिनांक 22.10.2024 को प्रार्थिनी का कनेक्शन काटा गया था तब मीटर रीडिंग 42178 थी और 40 दिन बाद दिनांक 30.12.2025 को प्रार्थिनी की मीटर रीडिंग 46450 दर्शा रहा था जो कि कुल 4272 देय यूनिट बनती है। जो कि अत्याधिक है जो कि शायद विद्युत मीटर जम्प करने के कारण हुयी होगी। महोदय प्रार्थिनी के कहने पर अगले दिन मेरे जेठ जी श्री संजय कुमार ने दिनांक 31.12.2025 को अपने विद्युत मीटर की एम0आर0आई0 किये जाने का प्रार्थना पत्र बिजली विभाग में उपखण्ड अधिकारी कार्यालय में दिया था। किन्तु महोदय विभाग द्वारा प्रार्थना पत्र पर कोई कार्यवाही नहीं की गई अपितु विभाग द्वारा प्रार्थिनी को बिना पूर्व सूचना या नोटिस दिये तथा पिछला कोई भी बिल बकाया न होने पर भी प्रार्थिनी का विद्युत कनेक्शन दिनांक 13.02.2026 को काट दिया गया है जो कि नियम विरूद्ध विभाग की एकपक्षीय कार्यवाही है। महोदय प्रार्थिनी आपसे निवेदन करती है कि विद्युत बिल निवारण के सम्बन्ध में घरेलू महिला होने के कारण अपने वाद की पैरवी करने में सक्षम नही है।

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.V.Gabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र)
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रो
देहरादून – 248001
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 2761956
कार्यालय 0135–2763672–75 फैक्स–0135–2767395
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

अतः प्रार्थिनी अपने विद्युत बिल निवारण वाद की पैरवी करने के लिए अपने जेठ जी श्री संजय कुमार पुत्र स्व0 लाहन लाल जो कि मृतक पति के सगे भाई है उनको अधिकृत करती हूँ। अतः श्रीमान जी से नम्र निवेदन है कि प्रार्थिनी के प्रर्थाना–पत्र का संज्ञान लेकर उचित कार्यवाही की जाये ताकि प्रार्थिनी की समस्या का उचित समाधान हो सके तथा प्रार्थिनी को न्याय मिल सके।"

उपरोक्त के सन्दर्भ में विपक्षी सहायक अभियन्ता (राजस्व) ने आख्या पत्रांक शून्य दिनांकित 06/05/2026 से मंच को बिन्दुवार आख्या निम्नानुसार अवगत से कराया गया है:–

- *"परिवादी का संयोजन घरेलू श्रेणी की उपश्रेणी STN-10/Other Domestic Load Upto 04 KW 04 मार्च 1982 को निर्गत किया गया था, जिसकी संयोजन संख्या VN23121016233 है।*

2 *परिवादी को विद्युत बीजक मीटर रीडिंग के आधार पर निर्गत किए गये है।*

मंच द्वारा उभय पक्षों को सुना गया । पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों एवं तर्कों के सम्यक परीक्षण के उपरान्त मंच इस निष्कर्ष पर पहुँचा है कि विपक्षी द्वारा विवादित अवधि की मीटर रीडिंग की सत्यता एवं विश्वसनीयता प्रमाणित करने में असफल रहा है। अभिलेखों से यह भी स्पष्ट है कि विवादित मीटर की एम0आर0आई0 उपलब्ध नहीं कराई जा सकी तथा विभाग द्वारा स्वंय यह स्वीकार किया गया है कि मीटर की एम0आर0आई0 कराना संभव नहीं हो सका। ऐसी स्थिति में मात्र विवादित मीटर रीडिंग के आधार पर जारी किया गया विद्युत बिल विधिसम्मत एव विश्वसनीय नहीं माना जा सकता। प्राकृतिक न्याय के अनुसार किसी उपभोक्ता पर अप्रमाणित एवं संदिग्ध मीटर रीडिंग के आधार पर वित्तीय दायित्व आरोपित नहीं किया जा सकता।

उपरोक्त चर्चा के उपरान्त मंच का मत है कि परिवादी को माह 12/2025 में मीटर संख्या 766487 के आधार पर प्रेषित 71 दिनो मे 4272 यूनिट के विद्युत बीजक (जो कि 60 यूनिट प्रति दिन की अप्रत्याक्षित खपत दर्शाता है) को

निरस्त कर माननीय *UTTARAKHAND ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION* के विनियम *UERC (The Electricity Supply Code, Release of New Connections and Related Matters) Regulations, 2020* के विनियम *5.1.7(1)* के प्रावधानों के अनुसार स्थित मीटर को आई0डी0एफ0 मानते हुए उक्त विद्युत बीजक पूर्व के तीन एम0यू0 बिल चक्रों यथा 08/2024, 06/2024 एवं 04/2024 (18.02.2024 से 23.08.2024) की औसत खपत 14.80 अर्थात् 15 यूनिट (1013+903+867)/188 प्रति दिन के अनुसार संशोधित किया जाना तर्कसगत एवं न्यायोचित होगा।

आदेश

मंच द्वारा विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि परिवादी को माह 12/2025 (20.10.2025 से 30.12.2025 के कुल 72 दिनों) में मीटर सख्या 766487 के आधार पर प्रेषित 4272 यूनिट के विद्युत बीजक को निरस्त कर माननीय *UTTARAKHAND ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION* के विनियम *UERC (The Electricity Supply Code, Release of New Connections and Related Matters) Regulations, 2020* के विनियम *5.1.7(1)* के प्रावधानों के अनुसार स्थित मीटर को आई0डी0एफ0 मानते हुए उक्त विद्युत बीजक पूर्व के तीन एम0यू0 बिल चक्रों यथा 08/2024, 06/2024 एवं 04/2024 (18.02.2024 से 23.08.2024) की औसत खपत 14.80 अर्थात् 15 यूनिट (1013+903+867)/188 प्रति दिन के अनुसार संशोधित करे तथा अविलंब परिवादी के परिसर पर स्मार्ट मीटर स्थापित किया जाना सुनिश्चित करे। इस प्रकार संशोधित बीजक पर किसी भी प्रकार का सरचार्ज देय नहीं होगा। आदेश की अनुपालन आख्या 30 दिनों के अंतर्गत मच के समक्ष प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित करें। उभय पक्ष एक दूसरे से किसी प्रकार का वाद व्यय/प्रतिकर प्राप्त नहीं करेगें। **इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर विद्युत औम्बड्समैन, 80 बसंत विहार, देहरादून में अपील कर सकता है।** पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

10-7-2026
(सुन्दरी गैरोला देवली)
न्यायिक सदस्य

10/07/26
(दीपक फरस्वाण)
उपभोक्ता सदस्य

10/07/26
(रजनीश माथुर)
तकनीकी सदस्य

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.V Gabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र)
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रो
देहरादून – 248001
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 2761956
कार्यालय 0135–2763672–75 फैक्स–0135–276739
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

परिवाद सं0 28 / 2026

श्री मदन लाल परमार — परिवादी
निवासी– वार्ड न0–06, जस्सोवाला
हर्बटपुर, देहरादून।

बनाम

अधिशासी अभियन्ता — **विपक्षी**
विद्युत वितरण खण्ड (विकासनगर)
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
देहरादून।

कोरम — दिनांक: 10/07/2026

श्री रजनीश माथुर — तकनीकी सदस्य
श्रीमती सुन्दरी गैरोला देवली — न्यायिक सदस्य
श्री दीपक फरस्वाण — उपभोक्ता सदस्य

निर्णय

The complainant registered the complaint against repeated slab Jumping due to to delayed readings and request for refund/adjusment.

The Complainant submits and prays as under:-

"I, Madan Lal Parmar, wish to bring to your urgent notice the financial loss I am suffering due to the department's failure in taking timely monthly readings.

1- Previous Disputed Bill (Oct 2024-April 2025) : The department took the reading after 181 days (6 months). Due to this delay,5234 units were billed together,pushing the entire amount into the highest slab (slab3@ rs. 7.80/unit). I was forced to pay rs. 29,496 under protest.

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.V.Gabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 237 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र)
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रो
देहरादून – 24800
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 2761956
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–276739
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

2- *Current Bill Anomaly (Dec2025-April2026): Even after the meter was changed on 28-jan 2026, the department again failed to take readings. The current bill has been generated after 123 days (4 months). Out of 904 total unts,95 units have been charged at slab 2 rates. If the reading had been taken every month (226 units/month), a significant portion of this would have fallen under the cheaper slab 0 and slab 1 rates.*

3- *Points of contention:*

- *Department Negligence- why should I, as a consumer, bear the "Unnecessary Expense" of higher tariff slabs just because the department fails to take timely readings?*
- *Comparision: My current average consumption is only 220 units/month. This proves that the previous 5234 units reading was either a "Meter Jump" or an error, as it is impossible for my household to consume 870– units/month.*

I request the forum to:

1. *Re-calculate the 5234 unit bill on a monthly pro-rata basis and refund the excess amount.*
2. *Adjust the current 4 month bill as per monthly slabs so that I do not suffer a loss due to slab jumping.*
3. *Direct the division to ensure monthly reading so that such issues do not recur.*

उपरोक्त के संन्दर्भ में विपक्षी सहायक अभियन्ता (राजस्व) ने आख्या पत्रांक 3323 दिनांकित 06/05/2026 से मंच को निम्नलिखित बिन्दुवार आख्या से अवगत कराया गया है:–

1. *बिन्दु संख्या 01– " उपभोक्ता द्वारा 5234 यूनिट बिल की पुनः गणना के सबन्ध में मा0 मंच को अवगत कराना है कि उपभोक्ता को प्रो–डाटा बेसिस के आधार पर 181 दिन कर बिल निर्गत किया गया है।*
2. *बिन्दु संख्या 02– उपभोक्ता को प्रो–डाटा बेसिस के आधार पर ही बिल निर्गत किये गये है।*
3. *बिन्दु संख्या 03– उपखण्ड कार्यालय, विद्युत वितरण उपखण्ड, हरबर्अपुर को उपभोक्ता के माहवार रीडिंग लेने के लिए निर्देशित किया गया है।"*

उपरोक्त के संन्दर्भ में विपक्षी सहायक अभियन्ता (राजस्व) ने आख्या पत्रांक 3461 दिनांकित 13/05/2026 से मंच को अवगत कराया गया है कि " *उपभोक्ता के संयोजन संख्या VN23224041937 पर स्थापित पुराना मीटर संख्या EM5980 की एम0आर0आई0 रिपोर्ट प्रेषित किये जाने हेतु निर्देशित किया गया था। उक्त के संबंध में सहायक अभियन्ता (मापक) द्वारा दूरभाष पर अवगत कराया गया है कि मीटर की एम0आर0आई0 किया जाना सम्भव नहीं है।*"

मंच द्वारा उभय पक्षों को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलखों के अवलोकन से मंच निम्न निष्कर्ष पर पहुँचता है:–

परिवादी का मुख्य विवाद यह है विद्युत विभाग द्वारा लम्बी अवधि तक नियमित मासिक मीटर रीडिंग नहीं ली गई, जिसके परिणामस्वरूप कई माह की विद्युत खपत का संयुक्त बिल जारी किया गया तथा एकमुश्त अधिक यूनिट जोड़ दिए जाने के कारण उच्च टैरिफ स्लैब लागू हो गया। परिणामस्वरूप परिवादी पर अनावश्यक आर्थिक भार पड़ा।

विपक्षी द्वारा यह स्वीकार किया गया है कि मंच के निर्देशानुसार पुराने मीटर संख्या EM5980 की एम0आर0आई0 रिपोर्ट उपलब्ध कराने का प्रयास किया गया, किन्तु सहायक अभियन्ता (मीटर) के पत्रांक 3461 दिनाक 13.05.2026 द्वारा सूचित किया गया कि उक्त मीटर की एम0आर0आई0 रिपोर्ट उपलब्ध कराया जाना सम्भव नहीं है।

अतः विपक्षी स्वयं पुराने मीटर की रीडिंग की शुद्धता का सर्वोत्तत तकनीकि साक्ष्य प्रस्तुत करने में असफल रहा है। उक्त प्रकरण मे मंच यह भी पाता है कि पुराने मीटर के विवादित बिल में लगभग 5234 यूनिट (181 दिन) दर्शाई गई, जबकि नए मीटर पर 904 यूनिट (123 दिन) की खपत दर्ज है। दोनों अवधियों की औसत मासिक खपत में अत्यधिक अतर है, जिसका संतोषजनक तकनीकि स्पष्टीकरण विभाग प्रस्तुत नहीं कर सका। अतः विवादित बिल की शुद्धता सदेह से परे सिद्ध नहीं होती।

उपरोक्त चर्चा के उपरान्त मंच का मत है कि परिवादी को माह 04/2025 में मीटर संख्या EM5980 के आधार पर प्रेषित 5234 यूनिट के विद्युत बीजक को निरस्त कर माननीय ***UTTARAKHAND ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION*** के विनियम ***UERC (The Electricity Supply Code, Release of New Connections and Related Matters) Regulations, 2020*** के विनियम ***5.1.7(1)*** के प्रावधानों के अनुसार स्थित मीटर आई0डी0एफ0 श्रेणी में होने के कारण उक्त विद्युत बीजक पूर्व के तीन एम0यू0 बिल चक्रों यथा 10/2024, 08/2024 एवं 06/2024 की औसत खपत

214.33 अर्थात् 214 यूनिट (179+279+185)/3 प्रति बिल चक्र के अनुसार संशोधित किया जाना तर्कसंगत एवं न्यायोचित होगा।

आदेश

मंच द्वारा विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि परिवादी को माह 04/2025 में मीटर संख्या EM5980 के आधार पर प्रेषित 5234 यूनिट के विद्युत बीजक को निरस्त कर माननीय ***UTTARAKHAND ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION*** के विनियम ***UERC (The Electricity Supply Code, Release of New Connections and Related Matters) Regulations, 2020*** के विनियम ***5.1.7(1)*** के प्रावधानों के अनुसार स्थित मीटर आई0डी0एफ0 श्रेणी में होने के कारण उक्त विद्युत बीजक पूर्व के तीन एम0यू0 बिल चक्रों यथा 10/2024 08/2024 एवं 06/2024 की औसत खपत 214.33 अर्थात् 214 यूनिट (179+279+185)/3 प्रति बिल चक्र के अनुसार संशोधितकरे तथा अविलंब परिवादी के परिसर पर स्मार्ट मीटर स्थापित किया जाना सुनिश्चित करे। इस प्रकार संशोधित बीजक पर किसी भी प्रकार का सरचार्ज देय नहीं होगा। मंच द्वारा विपक्षी को यह भी आदेशित किया जाता है कि भविष्य में नियमित मासिक मीटर रीडिंग सुनिश्चित की जाए ताकि ऐसी स्थिति पुनः उत्पन्न न हो। आदेश की अनुपालन आख्या 30 दिनों के अंतर्गत मंच के समक्ष प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित करें। उभय पक्ष एक दूसरे से किसी प्रकार का वाद व्यय/प्रतिकर प्राप्त नहीं करेंगे। **इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर विद्युत औम्बड्समैन, 80 बसंत विहार, देहरादून में अपील कर सकता है।** पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

10-7-2026 (सुन्दरी गैरोला देवली) न्यायिक सदस्य	10.7.26 (दीपक फरस्वाण) उपभोक्ता सदस्य	10/07 (रजनीश माथुर) तकनीकी सदस्य

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.V.Gabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र)
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रोड
देहरादून – 248001
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 2761956
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–2767395
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

परिवाद सं0 29 / 2026

मै0 मैक्स इण्डस्ट्री श्री जितेन्द्र पाल सिंह, — परिवादी
निवासी– 122 एम0आई0सेन्ट0,
इण्डस्ट्रियल एरिया सेलाकुई, देहरादून।

बनाम

अधिशासी अभियन्ता — **विपक्षी**
विद्युत वितरण खण्ड (मोहनपुर)
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
देहरादून।

कोरम — दिनांक: 13.07.2026

श्री रजनीश माथुर — तकनीकी सदस्य
श्रीमती सुन्दरी गैरोला देवली — न्यायिक सदस्य
श्री दीपक फरस्वाण — उपभोक्ता सदस्य

निर्णय

परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद उनके विद्युत बिल संशोधित किये जाने के सम्बन्ध में योजित किया गया है।

परिवादी का कथन है "*कि प्रार्थी की एक फैक्टरी मैक्स इडस्ट्रीज के नाम से खसरा नं. 122, सेलाकुई इंडस्ट्रियल एरिया में स्थित है। विगत कुछ समय से उक्त इकाई में उत्पादन कार्य पूर्णतः बंद है, तथापि प्रार्थी द्वारा प्रत्येक माह नियमानुसार न्यूनतम विद्युत बिल समय पर जमा कराया जाता रहा है। यह अत्यंत खेद का विषय है कि दिनांक 25.07.2025 को विभाग द्वारा बिना किसी पूर्व सूचना, अनुमति अथवा जानकारी के फैक्टरी परिसर में चेक मीटर स्थापित कर दिया गया। इस संबंध में प्रार्थी को किसी प्रकार की पूर्व सूचना नहीं दी गई, जो कि पूर्णतः अनुचित एवं नियमों के विरुद्ध प्रतीत होता है। इसके उपरांत दिनांक 04.09.2025 को चैक मीटर हटाए जाने के पश्चात, फरवरी 2026 में विभाग द्वारा पत्र के माध्यम से यह सूचित किया गया कि R–फेज मीटरिंग में गडबडी (CT Secondary Wire Carbonized) पाई गई है तथा पुरानी तार को बदलकर मीटरिंग को ठीक किया गया है। साथ ही यह भी उल्लेखित किया गया कि प्रार्थी का मीटर 66.75 प्रतिशत स्लो चल रहा था जिसके आधार पर रु 2,03,583/– (रुपये दो लाख तीन हजार पॉच सौ तिरासी) का अतिरिक्त शुल्क आरोपित किया गया है। प्रार्थी द्वारा जब विभाग से सपर्क किया गया, तो यह बताया गया कि वर्ष 2024 से 2025 तक मीटर स्लो चलने के आधार पर*

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.V Gabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र)
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रो
देहरादून – 248001
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 2761956
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–2767395
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

उक्त मांग निकाली गई है। वही, चैक मीटर से संबंधित अधिकारी श्री दिनेश चौहान जी से जानकारी प्राप्त करने पर यह बताया गया कि विभागीय कर्मचारी जब प्रत्येक माह मीटर रीडिंग लेने आते थे, उसी दौरान मीटर स्लो पाया गया, इस सन्दर्भ में प्रार्थी विनम्रतापूर्वक यह प्रश्न उठाना चाहता है कि जब विभागीय कर्मचारी नियमित रूप से प्रत्येक माह मीटर रीडिंग लेते रहे, तो मीटर के स्लो होने की जानकारी तत्काल क्यों नहीं दी गई? लगभग एक वर्ष पश्चात इस प्रकार की भारी–भरकम मांग थोपना पूर्णतः अन्यायपूर्ण एवं संदेहास्पद प्रतीत होता है। इसके अतिरिक्त, यह भी उल्लेखनीय है कि अगस्त 2023 में भी इसी प्रकार का कारण बताकर चैक मीटर स्थापित किया गया था तथा प्रार्थी से अतिरिक्त भुगतान लिया गया था। अतः यह स्पष्ट है कि विभाग द्वारा बार–बार एक ही आधार पर आर्थिक भार डालना न्यायसंगत नहीं है। वर्तमान में उद्योग बंद होने के कारण प्रार्थी गंभीर आर्थिक संकट से गुजर रहा है। ऐसी परिस्थिति मे उक्त अतिरिक्त शुल्क न केवल अनुचित है, बल्कि प्रार्थी पर अनावश्यक वित्तीय दबाव भी उत्पन्न कर रहा है। अतः आपसे निवेदन है कि–

1. उक्त प्रकरण की निष्पक्ष एव उच्च स्तरीय जाँच कराई जाए।
2. चैक मीटर स्थापित किए जाने एवं मीटर स्लो दर्शाने की प्रक्रिया की वैधता की जाँच की जाए।
3. लगाए गए अतिरिक्त बिल रू 2,03,583/– को तत्काल निरस्त/ संशोधित किया जाए।
4. जॉच पूर्ण होने तक प्रार्थी का विद्युत कनेक्शन विच्छेदित न किया जाए, इसके लिए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश जारी किए जाएं।

अन्यथा, प्रार्थी को बाध्य होकर माननीय मुख्यमंत्री पोर्टल एवं अन्य सक्षम मंचों पर शिकायत दर्ज कराने हेतु विवश होना पडेगा, जिसकी पूर्ण जिम्मेदारी विभाग की होगी।"

उपरोक्त के संन्दर्भ में विपक्षी उपखण्ड अधिकारी ने आख्या पत्रांक 29, दिनांकित 23/05/2026 से मंच को निम्नवत् अवगत कराया है कि–

1- " मैन मीटर द्वारा अंकित की गयी ऊर्जा तथा चैक मीटर द्वारा अंकित की गयी ऊर्जा के तुलनात्मक अध्ययन से ज्ञात हुआ कि मेन मीटर, चैक मीटर के सापेक्ष 66.75% Slow पाया गया।

2- मा0 उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग द्वारा निर्धारित सप्लाई को–2020 के बिंदु संख्या 5.1.3.10(b) के अनुसार, <u>meter found slow beyond permissible limits, as specified by Bureau of Indian Standards (BIS), and the consumer does not dispute the accuracy of the test, the Licensee shall replace/rectify the defective meter within 15 days of testing. The consumer shall pay the difference due to the defect</u>

in the meter at normal rates, based on percentage error, for a maximum period of not more than 12 months or less depending on period of installation of meter or previous testing date prior to date of test and up to the date on which defective meter is replaced rectified.

3- *उपरोक्त के आलोक में उपभोक्ता के संयोजन पर 12 माह का राजस्व निर्धारण किया गया तथा उक्त निर्धारण की धनराशि जमा किए जाने हेतु इस कार्यालय के पत्रांक सख्या 8036 दिनांक 11.12.2026 द्वारा सूचित किया गया।*

मंच द्वारा पत्रावली **का अवलोकन किया गया।** मंच द्वारा परिवादी को न्यायहित में अवसर प्रदान करते हुए भिन्न–भिन्न तिथिया 07.05.2026 25.05.2026 एव 15.06.2026 नियत की गई थी, उपरोक्त सभी सुनवाई तिथियों से परिवादी को मंच द्वारा अवगत कराया गया था, बावजूद इसके न तो परिवादी उपरोक्त किसी तिथि में मंच के सम्मुख उपस्थित हुए न ही उनके द्वारा कोई दस्तावेज प्रस्तुत किये गये जिसे मंच द्वारा गंभीरता से लिया गया। उपरोक्त परिस्थितियों में मंच इस मत का है कि परिवादी उक्त वाद में आगे कोई कार्यवाही नहीं चाहते है। इस परिस्थिति में वाद आगे चलाने का कोई आचित्य नहीं रह जाता है। अत: वाद वादी के अदम पैरवी में खारिज किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रस्तुत वाद वादी के अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। उभय पक्ष एक दूसरे से किसी प्रकार का प्रतिकर/वाद–व्यय प्राप्त नहीं करेंगे। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

13-7-2026	13/07/26	13/07/2
(सुन्दरी गैरोला देवली)	(दीपक फरस्वाण)	(रजनीश माथुर)
न्यायिक सदस्य	उपभोक्ता सदस्य	तकनीकी सदस्य

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.V Gabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र)
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रोड
देहरादून – 248001
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 2761956
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–2767395
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

परिवाद सं0 31/2026

श्री भरत राज शाही,
निवासी– पो0ऑ0–अनारवाला,
देहरादून। — परिवादी

बनाम

अधिशासी अभियन्ता
विद्युत वितरण खण्ड (उत्तर)
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
देहरादून। — विपक्षी

कोरम — दिनांक: 27.07.2026

श्री रजनीश माथुर — तकनीकी सदस्य
श्रीमती सुन्दरी गैरोला देवली — न्यायिक सदस्य
श्री दीपक फरस्वाण — उपभोक्ता सदस्य

निर्णय

The complainant registered the complaint regarding Bill not being Generated for 04 months.

The Complainant submits and prays as under:-

"Bill is not generated from more than 04 months after change of solar smart meter. Raised complaints and service request from last 02 months, but till no action has been taken Account no. 40103230014."

उपरोक्त के संन्दर्भ में विपक्षी उपखण्ड अधिकारी ने आख्या पत्रांक 244, दिनांकित 01/07/2026 से मंच को अवगत कराया है *"कि संयोजन संख्या 7012451044638 श्री भरत राज शाही पर दिनांक 20.06.2026 को (24.12.2025 से 20.06.2026) तक का विद्युत बीजक निर्गत किया गया जोकि त्रुटिपूर्ण था। विद्युत बीजक को संशोधित कर दिया गया है एवं वर्तमान में उपभोक्ता का विद्युत बीजक रू0 4644.00 है।"*

विपक्षी द्वारा एक अन्य आख्या पत्रांक संख्या 276, दिनांकित 23.07.2026 से मंच को निम्नवत् अवगत कराया है *"कि दिनांक 18.07.2026 को उपभोक्ता श्री भरत राज शाही को सयोजन संख्या 7012451044638 के संशोधित विद्युत बीजक के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त करने हेतु उपखण्ड कार्यालय अनारवाला आये थें, जिस पर उनको*

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.VGabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र)
वि0क्र0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रोड
देहरादून – 248001
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 2761956
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–2767395
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

संशोधित विद्युत बीजक के सम्बन्ध में जानकारी उपलब्ध करायी गयी तथा जानकारी से संतुष्ट होने के उपरान्त श्री भरत राज शाही द्वारा संशोधित विद्युत बीजक की धनराशि रू० 4644.00 का भुगतान जमा कर दिया गया है।"

मंच द्वारा उभय पक्षों को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध परिवादी के शिकायती पत्र के क्रम मे विपक्षी ने अपनी आख्या के माध्य से मंच को अवगत कराया है कि उपभोक्ता श्री भरत राज शाही को संशोधित विद्युत बीजक के सम्बन्ध में जानकारी उपलब्ध करायी गयी तथा जानकारी से संतुष्ट होने के उपरान्त श्री भरत राज शाही द्वारा संशोधित विद्युत बीजक की धनराशि रू० 4644.00 का भुगतान जमा कर दिया गया है।

उपरोक्त चर्चा उपरान्त मंच इस मत का है कि विपक्षी द्वारा परिवादी की उपरोक्त विद्युत बिल संबधी शिकायत का निवारण कर दिया गया है एवं परिवादी भी उक्त संशोधन से सतुष्ट है।

विपक्षी द्वारा परिवादी की मूल शिकायत का समाधान कर दिये जाने के फलस्वरूप वाद आगे चलाने का कोई औचित्य नही रह जाता है। अतः वाद निस्तारित किये जाने योग्य है :

आदेश

विपक्षी द्वारा परिवादी की मूल शिकायत का समाधान कर दिये जाने के फलस्वरूप निस्तारित किया जाता है। उभय पक्ष एक दूसरे से किसी प्रकार का प्रतिकर/वाद–व्यय प्राप्त नहीं करेंगे। ***इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर विद्युत औम्बड्समैन, 80, बसंन्त विहार, देहरादून में अपील कर सकते हैं।*** पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

27-7-2026
(सुन्दरी गैरोला देवली)
न्यायिक सदस्य

27/07/26
(दीपक फरस्वाण)
उपभोक्ता सदस्य

27/07/2
(रजनीश माथुर)
तकनीकी सदस्य

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.V Gabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रो
देहरादून – 24800
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 276195
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–276739
ई मेल cgrfgz@gmail.com

परिवाद सं0 34 / 2026

श्री महेश सिंह,
निवासी– बिलासपुर कांडली,
घनघोर कैंट, देहरादून।

परिवादी

बनाम

अधिशासी अभियन्ता
विद्युत वितरण खण्ड (दक्षिण)
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
देहरादून।

विपक्षी

कोरम

दिनांक: 06.07.2026

श्री रजनीश माथुर	तकनीकी सदस्य
श्रीमती सुन्दरी गैरोला देवली	न्यायिक सदस्य
श्री दीपक फरस्वाण	उपभोक्ता सदस्य

निर्णय

The complainant registered the complaint following UPCL's inaction an his complaint.

The Complainant submits and prays as under:-

I would like to bring to your kind notice that I had submitted a written complaint regarding my electricity-related issue to the Kolagarh Electric Distribution Center on 25 Apr 26. However, till date, no action has been taken on the same. I have installed Solar pannel in my house on 19 sep 25, I paid my electric bill for the month of Sep 25 And the electric dept Kolagarh installed new meter in my house same date. (Copy att). After installed solar pannel, the electric bill is continuously showing in my electric acct No - 42000186434. I request you to kindly look into the matter and direct the concerned authorities to take immediate necessary action. I shall be grateful for your prompt attention to this matter."

उपरोक्त के संन्दर्भ में विपक्षी उपखण्ड अधिकारी ने आख्या पत्रांक 191, दिनांकित 25/05/2026 से मंच को अवगत कराया है "*कि उपभोक्ता श्री महेश सिंह, निवासी– बिलासपुर कांडली, देहरादून द्वारा उनके संयोजन पर सोलर पैनल स्थापित करने के उपरान्त भी बिल आने की शिकायत की है। उपभोक्ता का सोलर मीटर देरी से*

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.V.Gabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135-2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढवाल क्षेत्र
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रो
देहरादून – 24800
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 276195
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–2767395
ई-मेल cgrfgz@gmail.com

कम्प्यूटर में अपडेट होने से उपभोक्ता का बिल गलत बन गया था, जिसे सी0सी0बी0आर0 के माध्यम से सही कर दिया गया है। उपभोक्ता के लेजर की प्रति संलग्न की जा रही है।"

परिवादी द्वारा प्रस्तुत शिकायत के संदर्भ में मंच को अवगत कराया गया कि उनके द्वारा दिनांक 19.09.2025 को अपने परिसर पर सोलर प्लाट स्थापित कराया गया था। सोलर मीटर स्थापित होने के उपरान्त भी उन्हे सोलर प्लांट के देय समायोजन का लाभ प्राप्त नहीं हुआ।

विपक्षी द्वारा परिवादी की शिकायत के क्रम में मंच को अवगत कराया गया कि उपभोक्ता के सोलर मीटर का विवरण कंप्यूटर प्रणाली में समय पर अपडेट न होने के कारण विद्युत बिल त्रुटिपूर्ण जारी हो रहे थे। वर्तमान मे उक्त त्रुटि को सी0सी0बी0आर0 के माध्यम से संशोधित कर दिया गया है तथा उपभोक्ता का विद्युत बिल संशोधित कर दिया गया है।

मंच द्वारा उभय पक्षों को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया एवं पाया कि विपक्षी द्वारा परिवादी की शिकायत का निराकरण कर बिल संबंधी त्रुटि का आवश्यक संशोधन करने के उपरान्त विद्युत बिल संशोधित कर दिया गया है।

उपरोक्त के क्रम में मंच का मत है कि विपक्षी द्वारा परिवादी की शिकायत का समाधान कर दिये जाने के फलस्वरूप वाद निस्तारित किये जाने योग्य है।

आदेश

उपरोक्त परिस्थियो उपरांत उक्त वाद निस्तारित किया जाता है। उभय पक्ष एक दूसरे से किसी प्रकार का वाद व्यय/प्रतिकर प्राप्त नही करेंगे। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर विद्युत औम्बड्समैन, 80, बसंत विहार, देहरादून में अपील कर सकता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

6-7-2026	06/07/26	06/07/2
(सुन्दरी गैरोला देवली)	(दीपक फरस्वाण)	(रजनीश माथुर)
न्यायिक सदस्य	उपभोक्ता सदस्य	तकनीकी सदस्य

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.VGabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र)
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिह ऊर्जा भवन, कॉवली रो
देहरादून – 248001
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 2761956
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–2767395
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

परिवाद सं0 35/2026

श्रीमती शुशील बाला,
निवासी – 147 आर्य नगर नई बस्ती,
अबेडकर कॉलोनी देहरादून। — परिवादी

बनाम

अधिशासी अभियन्ता
विद्युत वितरण खण्ड (उत्तर)
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
देहरादून। — विपक्षी

कोरम — दिनांक: 10.07.2026

श्री रजनीश माथुर — तकनीकी सदस्य
श्रीमती सुन्दरी गैरोला देवली — न्यायिक सदस्य
श्री दीपक फरस्वाण — उपभोक्ता सदस्य

निर्णय

परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद उनके विद्युत संयोजन निर्गत न किये जाने के सम्बन्ध में योजित किया गया है।

परिवादी का कथन है *"कि मैं शुशील बाला आपकी उपभोक्ता हूँ और मेरा कनेक्शन नं0 7011441089161 है। 21 मार्च 25 को मेरा बिल 8,594 रू0 आया था जबकि मेरी खपत बहुत कम है, मैंने मीटर रीडिंग चैक कराने हेतु एक चैक मीटर भी लगवाया था जो ठीक रीडिंग दे रहा था तथा पुराने मीटर में गलत रीडिंग थी या मीटर ज्यादा रीडिंग दे रहा था उसके बाद जब मीटर नया लगा तो आपके कर्मचारी मीटर रीडिंग सिलिग में नहीं लिख गए और शिकायत करने पर (Display Don't Show) लिख दिया। अब अभियन्ता जी ये बोल रहे है। कि बिल ठीक है जो कि नहीं है। अतः आपसे अनुरोध है कि इस विषय पर उचित कार्यवाहि कि जाए तथा कृपा करके मेरा न्यायोचित बिल बनाया जाए।"*

उपरोक्त के संन्दर्भ में विपक्षी उपखण्ड अधिकारी ने आख्या पत्रांक 81, दिनांकित 18/05/2026 से मंच को निम्नवत अवगत कराया है *"कि उपभोक्ता के बिलों का अवलोकन किया गया। उपभोक्ता की हिस्ट्री के अनुसार संयोजन संख्या 7011441089161 पर लगा मीटर संख्या 731923 दिनाक 16.04.2025 को अंतिम रीडिंग 20612 पर*

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.V.Gabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail - cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण
(गढ़वाल
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवलं
देहरादून – 24
दूरभाषः 0135–2769745, 2769755, 2761
कार्यालयः 0135–2763872–75 फैक्स–0135–2767
ई-मेल cgrfgz@gmail.co

बदला गया, तथा नया मीटर सख्या GU195485, प्रारंभिक रीडिंग 254 पर लगाया गया। उपभोक्ता के पुराने मीटर में दिनांक 17.01.2025 को अंतिम रीडिंग 19350 थी, तथा दिनांक 16.04.2025 (मीटर बदलते समय) रीडिंग 20612 पायी गयी। उपरोक्त रीडिंग के आधार की कुल खपत 20612-19350-1262unit के आधार पर उपभोक्ता का विद्युत बिल जारी किया गया है जो कि पूर्णतः सही तथा रीडिंग के आधार पर बनाया गया है। जिसे पुनः संशोधित किया जाना सम्भव नहीं है।"

पत्रावली पर उपलब्ध परिवादी के शिकायती पत्र में परिवादी का मुख्य कथन है कि मार्च, 2025 के विद्युत बिल में अत्याधिक विद्युत खपत दर्शाकर रू0 8594.00 का बिल निर्गत किया गया। परिवादी का कहना है कि पूर्व में उसका विद्युत उपभोग सामान्य था। शिकायत के उपरांत विभाग द्वारा परिसर पर चेक मीटर स्थापित किया गया, परंतु उसकी रीडिग अथवा परीक्षण रिपोर्ट परिवादी को उपलब्ध नहीं कराई गई। तत्पश्चात् पुराना मीटर बदलकर नया मीटर स्थापित कर दिया गया, किंतु मीटर परिवर्तन के समय पुराने मीटर की कार्यशीलता अथवा दर्ज रीडिंग की शुद्धता का कोई स्वतंत्र तकनीकि परीक्षण मंच के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया।

विपक्षी द्वारा सुनवाई के दौरान आख्या से मंच को अवगत कराया गया है कि परिवादी के पुराने मीटर की अंतिम रीडिंग 20612 तथा पूर्व रीडिग 19350 होने के आधार पर 1262 यूनिट की खपत दर्शाते हुए बिल निर्गत किया गया, जो विभाग के अनुसार सही है।

मंच द्वारा उभय पक्षों को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली का अवलोकन करने के उपरान्त मंच इस मत का है कि विपक्षी ने विवादित खपत की पुष्टि हेतु चेक मीटर की रीडिंग, परीक्षण रिपोर्ट अथवा अन्य कोई स्वतत्र तकनीकि साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है। केवल मीटर परिवर्तन के समय अंकित अंतिम रीडिंग के आधार पर यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि विवादित अवधि में दर्ज सम्पूर्ण विद्युत खपत वास्तविक एवं सही थी। जब किसी उपभोक्ता द्वारा अत्याधिक बिल पर ससमय आपत्ति की जाती है, तब विपक्षी पर यह दायित्व होता है कि वह तकनीकी साक्ष्यों द्वारा बिल की शुद्धता सिद्ध करे। वर्तमान प्रकरण में विपक्षी ऐसा करने मे असफल रहा है।

उपरोक्त चर्चा के उपरान्त मंच का मत है कि परिवादी के परिसर पर स्थापित पूर्व मीटर संख्या 731923 आई0डी0एफ0 की श्रेणी मे आता है। मंच का मत है कि परिवादी को दिनांक 06.03.2025 मे 1262 यूनिट के आधार

पर प्रेषित विद्युत बीजक को निरस्त कर माननीय *UTTARAKHAND ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION* के विनियम *UERC (The Electricity Supply Code, Release of New Connections and Related Matters) Regulations, 2020* के विनियम *5.1.7(1)* के प्रावधानों के अनुसार स्थित विद्युत मीटर को आई0डी0एफ0 मानते हुए उक्त विद्युत बीजक को पूर्व के तीन बिल चक्रो में खपत यथा 01/2025, 11/2024 एवं 09/2024 की औसत खपत 109 यूनिट (148+79+100)/3 प्रति बिल चक्र के अनुसार पुराने मीटर की खपत संशोधित किया जाना तर्कसंगत एवं न्यायोचित होगा।

आदेश

मंच द्वारा विपक्षी को आदेशित किया जाता है परिवादी को दिनांक 06.03.2025 में 1262 यूनिट के आधार पर प्रेषित विद्युत बीजक को निरस्त कर माननीय *UTTARAKHAND ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION* के विनियम *UERC (The Electricity Supply Code, Release of New Connections and Related Matters) Regulations, 2020* के विनियम *5.1.7(1)* के प्रावधानों के अनुसार स्थित विद्युत मीटर को आई0डी0एफ0 मानते हुए उक्त विद्युत बीजक को पूर्व के तीन बिल चक्रों में खपत यथा 01/2025, 11/2024 एवं 09/2024 की औसत खपत 109 यूनिट (148+79+100)/3 प्रति बिल चक्र के अनुसार पुराने मीटर की खपत संशोधित करें। इस प्रकार संशोधित बीजक पर किसी भी प्रकार का सरचार्ज देय नहीं होगा। उभय पक्ष एक दूसरे से किसी प्रकार का वाद व्यय/प्रतिकर प्राप्त नहीं करेंगे। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर विद्युत औम्बड्समैन, 80 बसंत विहार, देहरादून में अपील कर सकता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

10-7-2026	10/07/26	10/07
(सुन्दरी गैरोला देवली)	(दीपक फरस्वाण)	(रजनीश माथुर)
न्यायिक सदस्य	उपभोक्ता सदस्य	तकनीकी सदस्य

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.V Gabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135-2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail - cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र)
वी०सी०वी० गबर सिंह ऊर्जा भवन, कांवली रोड
देहरादून – 248001
दूरभाष 0135–2769745, 2769755, 2761956
कार्यालय 0135–2763672–75 फैक्स–0135–2767395
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

परिवाद सं0 36/2026

श्री देश राज केयर ऑफ श्रीमती रीवा पुत्री श्री विनोद कुमार — परिवादी
निवासी– दुर्गा विहार, विकासनगर
देहरादून।

बनाम

अधिशासी अभियन्ता — विपक्षी
विद्युत वितरण खण्ड (विकासनगर)
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लिo
देहरादून।

कोरम — दिनांक: 20.07.2026

श्री रजनीश माथुर — तकनीकी सदस्य
श्रीमती सुन्दरी गैरोला देवली — न्यायिक सदस्य
श्री दीपक फरस्वाण — उपभोक्ता सदस्य

निर्णय

परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद अत्याधिक विद्युत बिल आने के सम्बन्ध मे योजित किया गया है।

परिवादी का कथन है कि "*सविनय निवेदन है कि प्रार्थी के विद्युत संयोजन संख्या 41500290550 का मीटर बदलने के उपरांत से ही विद्युत बिल असामान्य रूप से अत्यधिक आने लगा है। इस कारण प्रार्थी को बिल का भुगतान करने में अत्यधिक कठिनाई का सामना करना पड रहा है। प्रार्थी एक बुजुर्ग व्यक्ति है एवं पूर्व मे कभी भी इतना अधिक बिल प्राप्त नहीं हुआ है। इस संबंध में प्रार्थी द्वारा संबन्धित विभाग में शिकायत दर्ज कराई गई है, जिस पर विभाग द्वारा बताया गया कि परिसर में अर्थिंग की समस्या हो सकती है। तत्पश्चात् प्रार्थी को*

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.V.Gabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र)
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रोड
देहरादून – 248001
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 2761956
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–2767395
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

inform the consumer that there is leakage in the premises and advise him to get his wiring checked and leakage removed. He shall also inform concerned officer of the Licensee about the leakage."

[Emphasis Added]

उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि विपक्षी द्वारा उक्त प्रकरण मे माननीय UERC के उपरोक्त विनियमों का उलघन किया गया है, जिसे मंच स्वीकार नही कर सकता है। अतः इस परिस्थिति में परिवादी को दिनांक 09.02.2026 से 06.04.2026 अर्थात् 3 बिल चक्रों में प्रेषित बिलों को UERC के उपरोक्त वर्णित विनियम के दृष्टिगत निरस्त कर उक्त विद्युत बीजक पूर्व के तीन एम0यू0 बिल चक्रों यथा 12/2025, 11/2025 एवं 10/2025 की औसत खपत 9.58 (115+180+711)/105 अर्थात् 10 यूनिट प्रति दिन के अनुसार संशोधित किया जाना तर्कसंगत एवं न्यायोचित होगा।

आदेश

मंच द्वारा विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि परिवादी को दिनांक 09.02.2026 से 06.04.2026 अर्थात् 3 बिल चक्रों में प्रेषित बिलों को UERC के उपरोक्त वर्णित विनियम के दृष्टिगत निरस्त कर उक्त विद्युत बीजक पूर्व के तीन एम0यू0 बिल चक्रों यथा 12/2025, 11/2025 एवं 10/2025 की औसत खपत 09.58 (115+180+711)/105 अर्थात् 10 यूनिट प्रति दिन के अनुसार संशोधित करे। इस प्रकार संशोधित बीजक पर किसी भी प्रकार का सरचार्ज देय नहीं होगा। आदेश की अनुपालन आख्या 30 दिनों के अंतर्गत मंच के समक्ष प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित करें। उभय पक्ष एक दूसरे से किसी प्रकार का वाद व्यय/प्रतिकर प्राप्त नहीं करेंगे। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर विद्युत औम्बड्समैन, 80 बसंत विहार, देहरादून में अपील कर सकता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

20-7-2026	20/07/26	20/07/2
(सुन्दरी गैरोला देवली)	(दीपक फरस्वाण)	(रजनीश माथुर)
न्यायिक सदस्य	उपभोक्ता सदस्य	तकनीकी सदस्य

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.VGabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र)
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिह ऊर्जा भवन, कॉवली रो
देहरादून – 248001
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 2761956
कार्यालय: 0135–2763872–75 फैक्स–0135–2767395
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

विपक्षी उपखण्ड अधिकारी ने अपने प्रतिउत्तर में अवगत कराया कि परिवादी का विद्युत बिल वास्तविक मीटर रीडिंग एवं दर्ज खपत के आधार पर ही निर्गत किया जा रहा है। चैक मीटर परीक्षण मे भी किसी प्रकार की विसगति नहीं पाई गई। स्मार्ट मीटर की एम0आर0आई0 रिपोर्ट के अनुसार डेटा अलार्म में अर्थ लोड पाया गया है। अतः विभाग के अनुसार परिवादी का बिल सही एवं देय है।

उपरोक्त के क्रम में मंच का मत है कि विपक्षी द्वारा केवल स्मार्ट मीटर के डेटा अलार्म में अर्थ लोड पाये जाने के आधार पर अतिरिक्त भार एवं असामान्य विद्युत उपभोग का दावा किया गया है। तथापित अभिलेखों पर ऐसा कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है जिससे यह सिद्व हो कि माननीय् UERC के विनियम 5.1.2(5) के अनुरूप विपक्षी द्वारा परिवादी को अर्थ लीकेज संबंधी सूचना उपलब्ध कराई गई। अतः प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत केवल डाटा अलार्म की जॉच के उपरानत पाये गये अर्थ लोड के आधार पर विवादित बिल को वैध नहीं माना जा सकता है।

यहॉ पर यह उल्लेख करना आवश्यक है कि माननीय **Uttarakhand Electricity Regulatory Commission** के विनियम **UERC (The Electricity Supply Code, Release of New Connections and Related Matters) Regulations, 2020** के विनियम 5.1.2(5) में अर्थिग संबंधी मामलों की बिलिंग हेतु स्पष्ट उल्लेख किया गया है जो कि निम्वत् है–

5.1.2(5) "Time of Day (ToD) meters, whever installed shall be read only through Meter Reading Instrument (MRI). **It shall be the duty of Licensee's official to read tha meter and check condition of LEDs on electronic meters. In case Earth Leakage (E/L) LED indicator,provided on electronic meters, is found 'ON' he shall**

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.VGabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र)
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रो
देहरादून – 248001
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 2761956
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–2767395
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

inform the consumer that there is leakage in the premises and advise him to get his wiring checked and leakage removed. He shall also inform concerned officer of the Licensee about the leakage."

[Emphasis Added]

उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि विपक्षी द्वारा उक्त प्रकरण में मान्नीय UERC के उपरोक्त विनियमों का उलंघन किया गया है, जिसे मंच स्वीकार नही कर सकता है। अतः इस परिस्थिति में परिवादी को दिनांक 09.02.2026 से 06.04.2026 अर्थात् 3 बिल चक्रों में प्रेषित बिलों को UERC के उपरोक्त वर्णित विनियम के दृष्टिगत निरस्त कर उक्त विद्युत बीजक पूर्व के तीन एम0यू0 बिल चक्रो यथा 12/2025, 11/2025 एवं 10/2025 की औसत खपत 9.58 (115+180+711)/105 अर्थात् 10 यूनिट प्रति दिन के अनुसार संशोधित किया जाना तर्कसंगत एवं न्यायोचित होगा।

आदेश

मंच द्वारा विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि परिवादी को दिनांक 09.02.2026 से 06.04.2026 अर्थात् 3 बिल चक्रों में प्रेषित बिलों को UERC के उपरोक्त वर्णित विनियम के दृष्टिगत निरस्त कर उक्त विद्युत बीजक पूर्व के तीन एम0यू0 बिल चक्रों यथा 12/2025, 11/2025 एवं 10/2025 की औसत खपत 09.58 (115+180+711)/105 अर्थात् 10 यूनिट प्रति दिन के अनुसार संशोधित करे। इस प्रकार संशोधित बीजक पर किसी भी प्रकार का सरचार्ज देय नहीं होगा। आदेश की अनुपालन आख्या 30 दिनों के अंतर्गत मंच के समक्ष प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित करें। उभय पक्ष एक दूसरे से किसी प्रकार का वाद व्यय/प्रतिकर प्राप्त नहीं करेंगे। **इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर विद्युत औम्बड्समैन, 80 बसंत विहार, देहरादून में अपील कर सकता है।** पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

20-7-2026 | 20/07/26 | 20/07/2

(सुन्दरी गैरोला देवली)
न्यायिक सदस्य

(दीपक फरस्वाण)
उपभोक्ता सदस्य

(रजनीश माथुर)
तकनीकी सदस्य

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.V.Gabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail - cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढवाल क्षेत्र)
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रोड
देहरादून – 248001
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 2761956
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–2767395
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

परिवाद सं0 39/2026

मै0 स्वाती फूड प्रोडक्ट — परिवादी
श्री शालिग राम शर्मा
निवासी– ग्राम पृथ्वीपुर, पो0ओ0
पश्चिमीवाला, विकासनगर
देहरादून।

बनाम

अधिशासी अभियन्ता — विपक्षी
विद्युत वितरण खण्ड (विकासनगर)
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
देहरादून।

कोरम — दिनांक: 06.07.2026
श्री रजनीश माथुर — तकनीकी सदस्य
श्रीमती सुन्दरी गैरोला देवली — न्यायिक सदस्य
श्री दीपक फरस्वाण — उपभोक्ता सदस्य

निर्णय

परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद संयोजन का विद्युत भार 100 कि0वा0 से 25 कि0वा0 किये जाने के सम्बन्ध में योजित किया गया है।

परिवादी का कथन है कि " *मै मै0 स्वाती फूड प्रोडक्ट पता– ग्राम पृथ्वीपुर विकासनगर देहरादून, उत्तराखण्ड नाम की फर्म चलाता हूँ। विद्युत संयोजन लेते समय में मेरा विद्युत अभिलेखो में दर्ज विद्युत लोड 100 किलोवाट है। मैं अपनी फर्म का 80 % काम बंद कर चुका हूँ। वर्तमान में मेरा मशीनों का व पूर्ण कार्य स्थल का विद्युत लोड केवल 20 किलोवाट रह गया है। लेकिन उक्त उद्योग कार्य के संचालन के लिये विद्युत विभाग*

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.VGabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun –248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र)
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रो
देहरादून – 248001
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 2761956
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–2767395
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

द्वारा कम से कम 25 किलोवाट विद्युत भार लेने के लिये कहा गया है, जिसके लिये मैं सहमत हूँ। परन्तु विभाग द्वारा पहले भी 30 किलोवाट का लोड स्वीकृत किया गया था, उस समय हमने 30 किलोवाट के लोड को बढाने का 1,39,000/– रुपये विभाग को अदा किये थे, जिसकी स्वीकृति तथा रसीद की कॉपी सलग्न है जिसमें 63 किलोवाट का ट्रांसफार्मर भी है। दिनांक 23 जनवरी 2018 को सर्वे के दौरान विभाग द्वारा उक्त स्थान के लिये 100 किलोवाट का लोड स्वीकृत किया गया था, उसमें ट्रांसफार्मर हमने अपना लगाया है इसकी भी स्वीकृति तथा भुगतान रसीद संलग्न है, जो ट्रांसफार्मर 63 किलोवाट का हमारे द्वारा लगाया गया था उसका हमें विभाग द्वारा भुगतान नहीं दिया गया है और यह ट्रासफार्मर आज भी वही लगा हुआ है। वर्तमान में विभाग द्वारा स्वीकृत किया गया 25 किलोवाट का विद्युत लोड ले रहा हूँ जो कि विद्युत विभाग द्वारा स्वीकृत है। अतः आपसे निवेदन है कि जो भुगतान मेरे द्वारा वर्ष 2013 में इस ट्रांसफार्मर के लिये विभाग को दे दिया गया है, अतः महोदय जी से सविनय निवेदन है कि मेरे द्वारा भुगतान किये गये ट्रांसफार्मर से मुझे नया कनेक्शन दिया जाए क्योंकि उसका भुगतान मेरे द्वारा किया गया है। महोदय निवेदन है कि मेरी प्रार्थना को स्वीकार किया जाए।''

उपरोक्त के संन्दर्भ में विपक्षी सहायक अभियन्ता (रा0) ने आख्या पत्रांक 3460 दिनांकित 13/05/2026 से मंच को बिन्दुवार आख्या से अवगत कराया गया हैः–

1. परिवादी का संयोजन संख्या VN0K000014852 है, जिसका वर्तमान विद्युत भार 100 के0वी0ए0 है।
2. परिवादी द्वारा 100 के0वी0ए0 से 25 कि0वा0 विद्युत भार घटाने हेतु आवेदन किया गया, जिसके सापेक्ष परिवादी को रुपये 208000.00 का मांग पत्र प्रेषित किया गया।

3 *परिवादी द्वारा वर्ष 2013 में विद्युत भार 20 कि0वा0 से 30 के0वा0 कराया गया था, जिसमें नियमसनुसार उपसंस्थान का व्यय परिवादी द्वारा जमा कराये गये थे, जिसमें उपसंस्थान का निर्माण कर विद्युत भार वृद्धि की गयी।*

4 *परिवादी द्वारा मांग की जा रही है कि पूर्व मे निर्मित उपसंस्थान से ही परिवादी को बिना भुगतान के संयोजन का विद्युत भार 100 के0वी0ए0 से 25 कि0वा0 किया जाए, जबकि मा0 उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग के LT Regulation 2020 के Chapter 4(Procedure for Enhancement/ Reduction in contracted load) के तहत ऐसा कोई प्राविधान नहीं है।"*

मंच द्वारा उभय पक्षों को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों का अवलोकन करने के उपरान्त मंच का मत है कि परिवादी का विद्युत सयोजन पूर्व में 100 केवीए स्वीकृत भार का था। परिवादी द्वारा अपने औद्योगिक कार्य में कमी होने के कारण विद्युत भार को घटाकर 25 किलोवाट किए जाने हेतु विपक्षी के कार्यालय में आवेदन प्रस्तुत किया गया। साथ ही परिवादी ने यह भी निवेदन किया कि उसके द्वारा पूर्व में ट्रांसफार्मर स्थापना हेतु धनराशि जमा की गई थी तथा विभाग द्वारा भार में कमी किए जाने में विलम्ब के कारण उनसे पूर्ववत स्वीकृत भार के आधार पर फिक्स चार्ज वसूले जा रहे हैं।

विपक्षी द्वारा अपने उत्तर में यह स्वीकार किया गया है कि परिवादी द्वारा विद्युत भार में कमी हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया था। विपक्षी ने यह आपत्ति की है कि पूर्व में स्थापित ट्रांसफार्मर के आधार पर बिना नये

परिवर्तक के भुगतान के नया संयोजन अथवा भार परिवर्तन का कोई प्रावधान म *UERC (The Electricity Supply Code, Release of New Connections and Related Matters) Regulations, 2020* मे उपलब्ध नहीं है।

उपरोक्त चर्चा के उपरान्त मंच का मत है कि इस वाद का मुख्य विवाद ट्रांसफार्मर के स्वामित्व का नहीं बल्कि आवदेन प्रस्तुत किए जाने के उपरान्त फिक्स चार्ज की देयता का है। यदि उपभोक्ता ने नियमानुसार विद्युत भार में कमी के लिए आवदेन प्रस्तुत कर दिया है, तो विभाग का दायित्व है कि वह निर्धारित प्रक्रिया एवं समय–सीमा के भीतर आवश्यक कार्यवाही पूर्ण करे। विभागीय विलम्ब का आर्थिक दुष्परिणाम उपभोक्ता पर नहीं डाला जा सकता।

UERC (The Electricity Supply Code, Release of New Connections and Related Matters) Regulations, 2020 के chapter -4, (Procedure for Enhancement/Reduction on Contracted Load) में संविदा भार (Contracted Load) भार में वृद्धि अथवा कमी की प्रक्रिया निर्धारित की गई है। उक्त विनियमो का उददेश्य यह सुनिश्चिति करना है कि उपभोक्ता द्वारा प्रस्तुत सभी प्रकार से पूर्ण प्रेषित आवेदन होने के पश्चात् वितरण लाइसेंसी नियमानुसार परीक्षण कर निर्धारित अवधि में भार परिवर्तन की कार्यवाही पूर्ण करे तथा उसके अनुरूप बिलिंग की जाए। इन विनियमों की भावना यह है कि विभागीय विलम्ब के कारण उपभोक्ता पर अतिरिक्त वित्तीय भार नहीं डाला जा सकता।

अतः मंच यह मानता है कि परिवादी द्वारा जिस दिन विद्युत भार में कमी हेतु प्रस्तुत सभी प्रकार से पूर्ण आवेदन प्रस्तुत किया गया, उस तिथि से नियमानुसार संशोधित संविदा भार (Contracted Load) के आधार पर फिक्स चार्ज देय होंगे। यदि विपक्षी द्वारा भार परिवर्तन की कार्यवाही बाद में पूर्ण की गई है, तो उस विलम्ब

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.V Gabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135-2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र)
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रोड
देहरादून – 248001
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 2761956
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–2767395
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

की अवधि के लिए पूर्व स्वीकृत 100 केवीए के आधार पर फिक्स चार्ज की वसूली न्यायसगत नहीं मानी जा सकती।

उपरोक्त चर्चा के उपरान्त मंच का मत है कि विपक्षी परिवादी द्वारा विद्युत भार में कमी हेतु प्रस्तुत आवेदन की तिथि, पंजीकरण संख्या 447100426012 के क्रम में, **UERC (The Electricity Supply Code, Release of New Connections and Related Matters) Regulations, 2020** के **chapter -4, (Procedure for Enhancement/Reduction on Contracted Load)** के अनुरूप सशोधित संविदा भार **(Contracted Load)** के आधार पर फिक्स चार्ज का पुनर्निर्धारण करे। परिवादी द्वारा नियमानुसार आवेदन किये जाने कि तिथि से परिवादी से अधिक वसूले गये फिक्स चार्ज एव शेष जमानत राशि को परिवादी के आगामी विद्युत बिल मे समायोजित किया जाना तर्कसगत एवं न्यायोचित होगा।

आदेश

परिवादी का परिवाद स्वीकार किया जाता है एवं विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि परिवादी द्वारा विद्युत भार में कमी हेतु प्रस्तुत आवेदन की तिथि पंजीकरण संख्या 447100426012 के क्रम में **UERC (The Electricity Supply Code, Release of New Connections and Related Matters) Regulations, 2020** के **chapter -4, (Procedure for Enhancement/Reduction on Contracted Load)** के अनुरूप संशोधित संविदा भार **(Contracted Load)** के आधार पर फिक्स चार्ज का पुनर्निर्धारण करें। परिवादी द्वारा नियमानुसार आवेदन किये जाने कि तिथि से परिवादी से अधिक वसूले गये फिक्स चार्ज जमानत राशि को परिवादी के आगामी विद्युत बिल में समायोजित किया जाए

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.V Gabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135-2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढवाल क्षेत्र)
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रो
देहरादून – 24800
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 2761956
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–276739
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

अथवा नियमानुसार वापिस किया जाये। उभय पक्ष एक दूसरे से किसी प्रकार का वाद व्यय/प्रतिकर प्राप्त नही करेंगे। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर विद्युत औम्बड्समैन, 80, बसंत विहार, देहरादून में अपील कर सकता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

Sd/-
6-7-2026
(सुन्दरी गैरोला देवली)
न्यायिक सदस्य

Sd/-
06/07/26
(दीपक फरस्वाण)
उपभोक्ता सदस्य

Sd/-
(रजनीश माथुर)
तकनीकी सदस्य

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.V Gabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढवाल क्षेत्र)
वि०क्रॉ०वि० गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रोड
देहरादून – 248001
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 2761956
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–2767395
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

परिवाद सं0 42 / 2026

श्रीमती रीता अम्बष्ट,
निवासी–ग्राम कंडोली,
देहरादून। — परिवादी

बनाम

अधिशासी अभियन्ता
विद्युत वितरण खण्ड (मोहनपुर)
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
देहरादून। — **विपक्षी**

कोरम — **दिनांक: 24.07.2026**

श्री रजनीश माथुर — **तकनीकी सदस्य**
श्रीमती सुन्दरी गैरोला देवली — **न्यायिक सदस्य**
श्री दीपक फरस्वाण — **उपभोक्ता सदस्य**

निर्णय

परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद विद्युत बिल संशोधित किये जाने के सम्बन्ध में योजित किया गया है।

परिवादी का कथन है "*कि आपके समक्ष इस विषय को प्रस्तुत करने से पूर्व मैंने SDO बिजली विभाग प्रेम नगर को दो पत्र स्पीड पोस्ट द्वारा दिनांक 01.04.2026 एवं 22.04.2026 को भेजे, बाद वाले पत्र की कॉपी उसी दिन स्पीड पोस्ट द्वारा एग्जीक्यूटिव इंजीनियर प्रेम नगर को भी भेजी। जिसका विभाग ने कोई जवाब नहीं दिया। शेष बातें इस प्रकार है।*

1. *मेरे घर का बिजली का मीटर तीव्र गति से चलने के कारण लगातार बिल ज्यादा आता रहा। सन्देह होने पर मैने एस0डी0ओ0 बिजली विभाग प्रेम नगर को बिजली मीटर तेज चलने की शिकायत की इस पर उन्होंने चेक मीटर लगाने से पहले वर्तमान विल रू24630/– का भुगतान करने को कहा। मैंने बिल का भुगतान 08.07.2024 को कर दिया।*

2 बिजली विभाग ने दिनांक 25.07.2024 को चैक मीटर लगाया और पाया कि मीटर तेज गति से चल रहा है। विभाग द्वारा 20.09.2024 को नया मीटर लगा दिया गया।

3 परन्तु अगले 19 महीने तक बार बार सम्पर्क करने पर भी विभाग ने बिल नहीं भेजा। हर बार यह कहते रहे बिल भेज दिया जायेगा। आखिरकार 07 मार्च को आग्रह करने पर उन्होने मोबाइल पर रू 33974/– का अतिरिक्त बिल भेज दिया गया जिसमें पहले भुगतान किये बिलों का समायोजन (adjustment) नहीं किया गया था। इस पर मैंने मौखिक शिकायत की इतना बिल कैसे आ सकता है? इस पर कर्मचारी ने कहा एक सप्ताह बाद आइए सिस्टम मे चैक करना होगा।

4. एक सप्ताह बाद जाने पर उन्होंने कहा एक सप्ताह और लगेगा। लेकिन इस बार उन्होंनें बिल डिटेल देने से पहले ही 24.03.2026 को मेरे घर का बिजली कनेक्शन काट दिया। तब उन्होंने उसी दिन रू 15000/– जमा कराने पर दुबारा से जोड दिया। लेकिन इस घटना से समाज में मेरे मान सम्मान पर बहुत बुरा असर पडा।

5 साथ ही उस दिन उन्होने मुझे बिजली बिल एवं कंस्यूमर लेजर शीट दी जिसमें फरवरी 2023 से 07 मार्च 2026 तक के मेरे खाते का विवरण दिया गया है। कंस्यूमर लेजर शीट के अनुसार, चैक मीटर लगाने के पूर्व फरवरी 2023 से (17 महीने) 08 जुलाई 2024 तक बिजली विभाग ने मुझसे रू 89003= 80 वसूल किये। जब की नया मीटर लगने के बाद (अर्थात् 28.09.2024 से) 19 महीने का बिल (7 मार्च, 2026 तक) रू 24170/– दर्शाया गया है।

6. इससे यह साबित होता है की नया मीटर लगने से पूर्व औसत प्रतिमाह बिल राशि रू 5235/– वसूल किया जाता रहा जब की नया मीटर लगने के उपरान्त औसत बिल प्रति माह रू 1272/– दर्शा रहा है। इससे यह पता चलता है कि बिजली विभाग ने मुझसे प्रति माह रू 3963/– सतरह महीने तक ज्यादा बिल राशि वसूला जिसे जोडें तो रू 67371/– बनता है।

अतः आपसे अनुरोध है कि आप इस पर जॉच कर उचित न्याय प्रदान करे।"

उपरोक्त के संन्दर्भ में विपक्षी उपखण्ड अधिकारी ने आख्या पत्रांक 977, दिनांकित 16/05/2026 से मंच को निम्नवत् अवगत कराया है कि–

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.V Gabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रं
देहरादून – 24800
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 276195
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–276739
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

1. *"उपभोक्ता द्वारा दिनांक 24/06/2024 को चैक मीटर लगाने हेतु Complint no 22706240358 की गयी थी उपभोक्ता द्वारा 03/07/2024 को चैक मीटर फीस रु 177.00 जमा करायी गयी थी।*
2. *दिनांक 25/07/2024 को चैक मीटर स्थापित किया गया था तथा दिनांक 20/09/2024 को Check meter final किया गया, मेन मीटर 298% Fast पाया गया था।*
3. *दिनांक 26/09/2023 की रीडिंग 19630kwh तथा 22/12/2023 की रीडिंग 21837 kwh का औसत (21837–19630)=2207 unit दिनांक 26/09/2023 से 22/12/2023 तक 86 दिनों का औसत लिया गया है।*
4. *उपभोक्ता का विद्युत बिल दिनांक 20/09/2024 तक सशोधित कर विद्युत की धनराशि रू० 2157.00 का CCBR द्वारा घटा दिये गये है।*
5. *उपभोक्ता को चैक मीटर का Adjestment system द्वारा स्वतः ही (–) 1137 unit घटा दी गयी थी।*
6. *उपभोक्ता को वर्तमान में माह 03/2026 तक विद्युत बिल की धनराशि रू० 12557.00 विद्युत बिल की धनराशि जमा किये जाने है।*

अतः सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।"

मंच द्वारा उभय पक्षों को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध परिवादी के शिकायती पत्र से स्पष्ट है कि परिवादी की शिकायत पर दिनांक 25.07.2024 को चेक मीटर स्थापित किया गया तथा दिनांक 20.09.2024 को चेक मीटर फाईनल किया गया। चेक मीटर परीक्षण में मूल मीटर 298 प्रतिशत तेज चलता हुआ पाया गया। इससे यह सिद्ध होता है कि पूर्व स्थापित मीटर सही वास्तविक विद्युत अंकन नहीं कर रहा था। विपक्षी द्वारा चेक मीटर के आधार पर कुछ समायोजन किया जाना स्वीकार किया गया है, जिसका मंच द्वारा अवलोकन किया गया एवं उक्त समायोजन को निरस्त किया जाता है।

यहॉं पर यह उल्लेख करना आवश्यक है कि माननीय **Uttarakhand Electricity Regulatory Commission** के विनियम **UERC (The Electricity Supply Code, Release of New**

Connections and Related Matters) Regulations, 2020 के विनियम 5.1.3(10)(a) में स्पष्ट उल्लेख किया गया है जो कि निम्वत् है–

5.1.3(10)(a) "Fast beyond limits specified by Bureau of Indian Standards (BIS), the Licensee shall replace/rectify the defective meter within 15 days of testing. The Licensee shall adjust/refund the excess amount collected on account of the said defect, **based on percentage error,** for a maximum period of 12 months or less depending on period of installation of meter or previous testing date prior to the date of consumers's complaint and up to the date on which defective meter is replaced/rectified"

[Emphasis Added]

उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि विपक्षी द्वारा उक्त प्रकरण में मान्नीय UERC के उपरोक्त विनियमों का उलंघन किया गया है, जिसे मंच स्वीकार नही कर सकता है।

उपरोक्त चर्चा के उपरान्त मंच का मत है कि विपक्षी द्वारा परिवादी के दिनाक 19.09.2023 से चेक मीटर फाईनल किये जोन की तिथि दिनांक 20.09.2024 (12 माह) तक के विद्युत बिलों को माननीय् UERC के उपरोक्त रेगुलेशन के अनुसार संशोधित किया जाना तर्कसंगत एवं न्यायोचित होगा एवं सही मीटर स्थापित किये जाने के उपरान्त नियमित बिल जारी करने की तिथि तक (07.03.2026) एकमुश्त रूप से आरोपित सरचार्ज/विलम्ब अधिभार पूर्णतः निरस्त किए जाने योग्य है।

आदेश

मंच द्वारा विपक्षी द्वारा प्रस्तुत चैक मीटर समायोजन को निरस्त किया जाता है एवं विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि परिवादी के दिनांक 19.09.2023 से चेक मीटर फाईनल किये जोन की तिथि दिनांक 20.09.2024 तक के विद्युत बिलों को माननीय् UERC के उपरोक्त रेगुलेशन के अनुसार संशोधित किया जाये एवं सही मीटर स्थापित किये जाने के उपरान्त नियमित बिल जारी करने की तिथि तक (07.03.2026) कारण एकमुश्त रूप से आरोपित सरचार्ज/विलम्ब अधिभार पूर्णतः निरस्त करते हुए परिवादी को आदेश प्राप्ती के 30 दिनों के अंतर्गत संशोधित विद्युत बिल प्रेषित किया

जाना सुनिश्चित करे। इस प्रकार संशोधित बीजक पर किसी भी प्रकार का सरचार्ज देय नहीं होगा। अनुपालन आख्या 30 दिवस के भीतर मंच के समक्ष प्रस्तु की जाए। उभय पक्ष एक दूसरे से किसी प्रकार का वाद व्यय/प्रतिकर प्राप्त नहीं करेंगे। **इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने** पर परिवादी आदेश **प्राप्ति के** 30 दिन के भीतर विद्युत औम्बड्समैन, 80 **बसंत विहार, देहरादून में अपील कर सकता है।** पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

24-7-2026
(सुन्दरी गैरोला देवली)
न्यायिक सदस्य

24/07/26
(दीपक फरस्वाण)
उपभोक्ता सदस्य

(रजनीश माथुर)
तकनीकी सदस्य
24/07

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.V Gabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135-2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रो
देहरादून – 24800
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 2761956
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–276739
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

परिवाद सं0 43/2026

श्रीमती पूर्णिमा राणा पत्नी श्री गोवर्धन राणा — परिवादी
निवासी– एन फिल्ड टी स्टेट निकट एस बी कालेज
विकासनगर, देहरादून

बनाम

अधिशासी अभियन्ता — विपक्षी
विद्युत वितरण खण्ड (विकासनगर)
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
देहरादून।

कोरम — दिनांक: 07.07.2026

श्री रजनीश माथुर — तकनीकी सदस्य
श्रीमती सुन्दरी गैरोला देवली — न्यायिक सदस्य
श्री दीपक फरस्वाण — उपभोक्ता सदस्य

निर्णय

परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद स्थाई रूप से विद्युत संयोजन को विच्छेदित करने के सम्बन्ध में योजित किया गया है।

परिवादी का कथन है कि " *मेरी दुकान सिनेमा गली विकासनगर में स्थित है मेरा विद्युत कनैक्शन संख्या VN63127400897 है। व्यक्तिगत कारणो से हमे दुकान बंद करनी पड़ी लेकिन विद्युत बिल नियमित रूप से जमा किए जाते रहे। आखिरी बिल 11.11.2020 को भुगतान किया गया लेकिन इसके पश्चात विभाग की*

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.V.Gabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र)
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रोड
देहरादून – 248001
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 2761956
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–2767395
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

और से बिल आना बंद हो गए। कुछ माह प्रतीक्षा करने के पश्चात् कार्यालय में पता करने पर कहा गया कि अभी आपका बिल जारी नही हुआ है। कुछ समय बाद जब दुकान मे बिजली चैक करने पर पता चला कि बिना किसी सूचना के दुकान की बिजली काट दी गई है। हमारा बिजली का मीटर, मीटर पैनल बाक्स में लगा होने के कारण हमे काफी समय बाद इसका पता चल पाया। जबकि लाईन मैन से संपर्क किया तो उसने बिजली कटने के बारे में बताया और मीटर में अन्तिम रीडिंग जो कि 22.03.2025 को 363 थी लाईन मैन सजय के द्वारा अंकित की गयी। कार्यालय से बिल निकलवाने पर बिल रू0 46750 दर्शाया गया। इस बीच बिल को ठीक कराने के लिए कार्यालय के चक्कर लगाते रहे लेकिन कोई समाधान नहीं हो पाया। अभी वर्तमान मे जानकारी लेने पर बताया गया कि आपका कनैक्शन स्थायी रूप से बंद कर दिया गया है। जिसके बारे में पूर्व में कोई सूचना नहीं दी गयी। अतः इस सम्बन्ध में निवेदन है मेरी इस समस्या का न्यायपूर्ण समाधान किया जाये जिससे मैं बिल का भुगतान कर सकूं क्योंकि दुकान बंद रहने के कारण बिजली का कोई उपयोग नहीं हुआ है।"

उपरोक्त के संन्दर्भ में विपक्षी उपखण्ड अधिकारी ने आख्या पत्रांक 3968 दिनांकित 30/05/2026 से मंच को अवगत कराया गया है कि "श्रीमती पूर्णिमा राणा पत्नी श्री गोवर्धन राणा, निवासी–एनफिल्ड टी–स्टेट, निकट एस0बी0 कालेज, विकासनगर, देहरादून के सम्बन्ध में बिन्दुवार आख्या निम्नानुसार है:–

1. परिवादी का संयोजन घरेलू श्रेणी की उपश्रेणी STN-25/Small Non-Domestic Load Upto 04 KW 21 सितम्बर 2011 को निर्गत किया गया था, जिसकी संयोजन सं0 VN63127400897 है।

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.V.Gabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र)
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रो
देहरादून – 248001
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 2761956
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–2767395
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

2 *परिवादी के संयोजन पर रू0 28,613.00 बकाया होने पर माह 07/2025 को अस्थाई विच्छेदन विच्छेदित किया गया।*

3 *परिवादी के द्वारा अस्थाई विच्छेदन के पश्चात् भी उपभोक्ता द्वारा बकाया बिल रू0 28,613.00 जमा नही किया गया जिस कारण उपभोक्ता का संयोजन दिनांक 27.01.2026 को स्थाई रूप से विच्छेदित किया गया।"*

मंच द्वारा उभय पक्षों को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि परिवादी के विद्युत संयोजन पर विभाग द्वारा दिनांक 29.10.2018 को मीटर की वास्तविक KWh रीडिंग 400 के आधार पर विद्युत बिल निर्गत किया गया। इसके उपरात विभाग द्वारा नियमित रूप से वास्तविक मीटर रीडिंग अंकित कर बिल निर्गत नहीं किए गए, बल्कि लगभग समस्त बिल NA.NR.RDF (Provisional) के आधार पर निर्गत किए जाते रहे।

अभिलेखों से यह भी स्पष्ट है कि पुनः दिनांक 23.12.2025 को विभाग द्वारा मीटर की वास्तविक KWh रीडिंग 462 अंकित करते हुए बिल निर्गत किया गया। अर्थात दिनांक 29.10.2018 से 23.12.2025 तक लगभग सात वर्ष की अवधि में मीटर को वास्तविक खपत मात्र 62 यूनिट (462–400 =62 यूनिट) दर्ज हुई है।

उपरोक्त चर्चा के उपरान्त मंच का मत है कि उक्त दीर्घ अवधि में केवल 62 यूनिट विद्युत ऊर्जा का वास्तविक उपभोग किया गया है, तो विभाग द्वारा इस अवधि में NA.NR.RDF के आधार पर निर्गत बिलों मे ऊर्जा प्रभार (Energy Charges) (Provisional) आधार पर आरोपित करना न्यायोचित एवं विधिसम्मत नहीं कहा जा सकता।

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.V Gabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135-2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र)
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रो
देहरादून – 248001
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 2761956
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–2767395
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

माननीय् UERC विद्युत आपूर्ति संहिता विनियम के अनुसार वितरण लाइसेंसी का दायित्व है कि वह वास्तविक मीटर रीडिंग के आधार पर बिलिंग करें लगातार NA,NR,RDF बिल जारी करना विभागीय त्रुटि है, जिसका प्रतिकूल प्रभाव उपभोक्ता पर नहीं डाला जा सकता।

विपक्षी यह भी सिद्ध करने में असफल रहा है कि उक्त अवधि मे नियमित रूप से वास्तविक मीटर रीडिंग लेने का कोई प्रयास किया गया अथवा उपभोक्ता द्वारा रीडिंग लेने में कोई बाधा उत्पन्न की गई। अतः विपक्षी द्वारा निर्गत NA,NR,RDF के आधार पर अतिरिक्त देयता आरोपित किया जाना प्राकृतिक न्याय एवं UERC के विनियमों के विपरीत है।

उपरोक्त के क्रम में मंच द्वारा विपक्षी को निर्देशित किया जाता है कि दिनाक 29.10.2018 से 23.12.2025 तक निर्गत समस्त NA,NR,RDF (Provisional) बिलो को संशोधित करें। उक्त अवधि के बिलों में ऊर्जा प्रभार (Energy Charges) समाप्त करते हुए केवल नियमानुसार देय फिक्सड चार्ज/ स्थायी प्रभार ही आरोपित किया जाए। परिवादी के खाते एवं लेजर का संशोधन करते हुए अंतिम वास्तविक मीटर रीडिंग 462 KWh के आधार पर अंतिम देयता का पुनर्निर्धारण किया जाए एवं परिवादी को उक्त के क्रम में संशोधित स्थाई विच्छेदन कार्यालय ज्ञाप जारी किया जाना तर्कसगत एवं न्याययोचित होगा।

आदेश

परिवाद स्वीकार किया जाता है एवं विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि दिनाक 29.10.2018 से 23.12.2025 तक निर्गत समस्त NA,NR,RDF (Provisional) बिलों का संशोधन करें। उक्त अवधि के बिलों में

ऊर्जा प्रभार (Energy Charges) समाप्त करते हुए केवल नियमानुसार देय फिक्स्ड चार्ज/ स्थायी प्रभार ही आरोपित किया जाए। परिवादी के खाते एवं लेजर का संशोधन करते हुए अंतिम वास्तविक मीटर रीडिंग 462 KWh के आधार पर अंतिम देयता का पुनर्निर्धारण किया जाए एवं परिवादी को उक्त के क्रम में संशोधित स्थाई विच्छेदन कार्यालय ज्ञाप जारी करे। इस प्रकार संशोधित स्थाई विच्छेदन कार्यालय ज्ञाप पर किसी भी प्रकार का सरचार्ज देय नहीं होगा। उभय पक्ष एक दूसरे से किसी प्रकार का वाद व्यय/प्रतिकर प्राप्त नही करेंगे। **इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर विद्युत औम्बड्समैन, 80, बसंत विहार, देहरादून में अपील कर सकता है।** पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

7-7-2026
(सुन्दरी गैरोला देवली)
न्यायिक सदस्य

07/07/26
(दीपक फरस्वाण)
उपभोक्ता सदस्य

(रजनीश माथुर)
तकनीकी सदस्य

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.V Gabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail - cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मं
(गढ़वाल क्षेत्र
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली र
देहरादून – 24800
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 276195
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स-0135–276739
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

परिवाद सं0 ONL 45/2026

श्री नारायण सिंह — परिवादी
निवासी– मकान नं0–02, लेन नं0–7
सुमेरू विहार झिवारेडी, देहरादून।

बनाम

अधिशासी अभियन्ता — विपक्षी
विद्युत वितरण खण्ड (मोहनपुर)
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
देहरादून।

कोरम — दिनांक: 28.07.2026

श्री रजनीश माथुर — तकनीकी सदस्य
श्रीमती सुन्दरी गैरोला देवली — न्यायिक सदस्य
श्री दीपक फरस्वाण — उपभोक्ता सदस्य

निर्णय

परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद क्षतिपूर्ति दावा संबधी शिकायत के सम्बन्ध में योजित किया गया है।

परिवादी का कथन है कि " *आपके कार्यालय को लिखित पत्र दिए जाने के बावजूद मेरी ऑनलाइन शिकायत संख्या 11302260014 पर कोई भी कार्यवाही नही की गई है।*"

उपरोक्त के संन्दर्भ में विपक्षी उपखण्ड अधिकारी ने आख्या पत्रांक 7117 दिनांकित 21/05/2026 से मंच को को बिन्दुवार अवगत कराया गया है कि:–

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.V.Gabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र)
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रोड
देहरादून – 248001
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 2761956
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–2767395
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

बिन्दु संख्या 01– उपभोक्ता द्वारा दिनांक 12.02.2026 को ऑनलाइन माध्यम से अपने परिसर पर लाइट न होने की शिकायत दर्ज कराई गई थी, जिसके सापेक्ष लाईन मैन द्वारा पोल से केबल को टाईट कर विद्युत सप्लाई सुचारू कर शिकायत का निवारण कर दिया गया था।

बिन्दु संख्या 02– *उपभोक्ता द्वारा दिनांक 25.02.2026 को अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में भी हाई वोल्टेज सम्बन्धी लिखित शिकायती पत्र प्रस्तुत किया गया था जिसके सापेक्ष अवर अभियन्ता द्वारा स्वंय उनके परिसर पर जाकर स्थलीय निरीक्षण किया गया एवं अवर अभियन्ता द्वारा लिखित आख्या में बताया गया कि उपभोक्ता के उपकरण अपनी परिसर की लाईन फॉल्ट आने के कारण जले है, जबकि उस दिन विभागीय विद्युत लाईन में कोई हाई वोल्टेज प्रभावित नही हुई।*

बिन्दु संख्या 03– *दिनांक 13.02.2026 को सुमेरू विहार जो कि घनी आबादी वाला क्षेत्र है वहाँ से अन्य किसी भी उपभोक्ता द्वारा हाई वोल्टेज से सम्बन्धित कोई भी शिकायत प्राप्त नही हुई। (पुष्टि हेतु बिजली घर के शिकायती पंजिका की छायाप्रति संलग्न) साथ ही यह भी अवगत कराया गया है कि अवर अभियन्ता द्वारा स्थलीय निरीक्षण करने पर आस–पास अन्य किसी भी उपभोक्ता के परिसर पर हाई वोल्टेज प्रभावित नही हुई थी।"*

मंच द्वारा उभय पक्षों को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध परिवादी के शिकायती पत्र से स्पष्ट है कि उनकी मूल शिकायत दिनांक 12.05.2026 को हाई वोल्टेज के कारण इलेक्ट्रानिक उपकरणों को हुए नुकसान के क्रम में क्षतिपूर्ति दिलाये जाने में उक्त वाद योजित किया गया है। पत्रावली पर उपलब्ध परिवादी के शिकायती पत्र के क्रम में विपक्षी द्वारा अपनी उपरोक्त विस्तृत आख्या के माध्यम से मंच को अवगत

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.V Gabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र
वि०क्रॉ०वि० गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रो
देहरादून – 24800
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 2761956
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–276739
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

कराया गय उपभोक्ता द्वारा दिनाक 25.02.2026 को अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में भी हाई वोल्टज सम्बन्धी लिखित शिकायती पत्र प्रस्तुत किया गया था जिसके सापेक्ष अवर अभियन्ता द्वारा स्वंय उनके परिसर पर जाकर स्थलीय निरीक्षण किया गया एवं अवर अभियन्ता द्वारा लिखित आख्या में बताया गया कि **उपभोक्ता के उपकरण उनके परिसर की लाईन फॉल्ट आने के कारण जले है**, जबकि उस दिन विभागीय विद्युत लाईन में कोई हाई वोल्टेज फाल्ट नहीं आया। अन्यथा सुमरू विहार जैसे घनी आबादी वाले क्षेत्र में अन्य उपभोक्ताओं के यहाँ स्थापित इलेक्ट्रानिक उपकरण के क्षतिग्रस्त होने की शिकायत प्राप्त होती, जो की नहीं हुई मंच का मानना है कि यह घटना **Force-Majeure conditions** की श्रेणी मे आती है। अतः **UERC** के **Standard of Performance Regulations, 2022** के 10(1) विनियम के आलोक में यह कार्य निष्पादन के मानक विनियम 2022 निलंबित रहेगें। मंच का मानना है कि विपक्षी द्वारा किसी कार्य निष्पादन के मानक का उल्लंघन नहीं है।

इसके अतिरिक्त **UERC (Standard of Performance Regulations), Schedule III (Guaranteed Standards of Performance and Compensation to affected person in Case of Default)** के क्लाज 5 **Damage to consumer's apparatus due to voltage fluctuations [If apparatus of more than one consumer in close neighbourhood are affected and subject to physical verification of the damaged apparatus by the Licensee within 72 hours followed by submission of documentary evidence by affected consumer with regard to expenses incurred on repair* charges and its verification by the Licensee]**

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.V Gabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र)
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रो
देहरादून – 248001
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 2761956
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–2767395
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

" In case of replacement or exchange of any damaged apparatus/ equipment with new one the compensation shall be limited to the extend of repair charges mentioned in this clause subject to the production of original bill and its verification by the Licensee, से स्पष्ट है कि एक से अधिक उपभोक्ताओं द्वारा हाई वोल्टेज के कारण विद्युत उपकरण जलने की स्थिति में ही क्षतिपूर्ति प्रदान की जा सकती है। उक्त के सबंध में विपक्षी द्वारा अवगत कराया गया है कि उक्त क्षेत्र में किसी अन्य उपभोक्त के मीटर अथवा घरेलू उपकरण क्षतिग्रस्त होने की कोई शिकायत विभाग को प्राप्त नहीं हुई, सम्भवता परिवादी के घर की वायरिंग सबंधित कोई समस्या होने के कारण घरेलू उपकरण क्षतिग्रस्त हुए होगें। अतः उपरोक्त चर्चा के उपरांत मंच इस मत का है कि उक्त घटना **Force-Majeure Condition** की श्रेणी में आती है। अतः इस परिस्थिति में परिवादी को क्षतिपूर्ति प्रदान किया जाना तर्कसंगत एवं न्यायोचित नही होगा।

आदेश

उपरोक्त परिस्थिति उपरान्त प्रस्तुत वाद खारिज किया जाता है। उभय पक्ष एक दूसरे से किसी प्रकार का वाद व्यय/प्रतिकर प्राप्त नही करेंगे। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर विद्युत ओम्बड्समैन, 80, बसंत विहार, देहरादून में अपील कर सकता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

28-7-2026	28/07/26	28/07/26
(सुन्दरी गैरोला देवली)	(दीपक फरस्वाण)	(रजनीश माथुर)
न्यायिक सदस्य	उपभोक्ता सदस्य	तकनीकी सदस्य

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.V Gabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढवाल क्षेत्र
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रं
देहरादून – 24800
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 2761956
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–276739
ई मेल cgrfgz@gmail.com

परिवाद सं0 ONL 46/2026

श्री विरेन्द्र सिंह निवासी– 20/24 मोती बाजार देहरादून।	**परिवादी**

बनाम

अधिशासी अभियन्ता विद्युत वितरण खण्ड (केन्द्रीय) उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0 देहरादून।	**विपक्षी**

कोरम	दिनांक: 07.07.2026
श्री रजनीश माथुर	तकनीकी सदस्य
श्रीमती सुन्दरी गैरोला देवली	न्यायिक सदस्य
श्री दीपक फरस्वाण	उपभोक्ता सदस्य

निर्णय

परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद विद्युत मीटर कार्य न किये जाने के सम्बन्ध में योजित किया गया है।

परिवादी का कथन है कि " *विद्युत मीटर काम नहीं कर रहा है। मीटर रीडिंग लेने आये व्यक्ति द्वारा हमें बताया गया कि विद्युत मीटर कार्य नहीं कर रहा है जिसकी शिकायत हमें दर्ज करानी पडेगी।* "

उपरोक्त के संन्दर्भ में विपक्षी उपखण्ड अधिकारी ने आख्या पत्रांक 269 दिनांकित 29/05/2026 से मंच को अवगत कराया गया है कि "*उपभोक्ता के मीटर को बदल दिया गया है, एवं नया मीटर लगा दिया गया है।*"

परिवादी द्वारा अपनी शिकायत के संदर्भ में मंच को अवगत कराया गया है कि उनके परिसर पर स्थापित विद्युत मीटर कार्य नहीं कर रहा है। मीटर रीडर द्वारा भी उन्हें इस संबंध में अवगत कराया गया था जिस के

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.V.Gahar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135-2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र)
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रोड
देहरादून – 248001
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 2761956
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–2767395
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

उपरान्त उनके द्वारा इस संबंध में शिकायत दर्ज कराई थी, किन्तु शिकायत दर्ज कराये जाने के उपरांत भी काफी समय तक मीटर परिवर्तित नही किया गया।

विपक्षी द्वारा परिवादी की शिकायत के क्रम मे मंच को अवगत कराया गया है कि परिवादी के परिसर पर स्थापित खराब विद्युत मीटर को परिवर्तित कर नया विद्युत मीटर स्थापित कर दिया गया है

मंच द्वारा उभय पक्षों को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। मंच द्वारा विपक्षी द्वारा प्रस्तुत आख्या का **परीक्षण किए** जाने पर यह स्पष्ट है कि परिवादी की शिकायत का समाधान कर दिया गया है।

उपरोक्त चर्चा उपरान्त मंच इस मत का है कि विपक्षी द्वारा परिवादी की खराब विद्युत मापक संबधी शिकायत का निवारण नया विद्युत मीटर स्थापित कर कर दिया गया है।

विपक्षी द्वारा परिवादी की मूल शिकायत का समाधान कर दिये जाने के फलस्वरूप वाद आगे चलाने का कोई औचित्य नही रह जाता है। अतः वाद निस्तारित किये जाने योग्य है।

आदेश

विपक्षी द्वारा परिवादी की मूल शिकायत का समाधान कर दिये जाने के फलस्वरूप निस्तारित किया जाता है। उभय पक्ष एक दूसरे से किसी प्रकार का प्रतिकर/वाद–व्यय प्राप्त नही करेंगे। ***इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर विद्युत औम्बड्समैन, 80, बसंन्त विहार, देहरादून में अपील कर सकते हैं।*** पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

7-7-2026
(सुन्दरी गैरोला देवली)
न्यायिक सदस्य

07/07/26
(दीपक फरस्वाण)
उपभोक्ता सदस्य

07/07/2
(रजनीश माथुर)
तकनीकी सदस्य

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.V Gabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रो
देहरादून – 24800
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 2761956
कार्यालय 0135–2763672–75 फैक्स–0135–276739
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

परिवाद सं0 51/2026

श्री प्रदीप कुमार,
निवासी–हरबशवाला, निकट काली मंदिर, वसंत विहार, देहरादून। — परिवादी

बनाम

अधिशासी अभियन्ता
विद्युत वितरण खण्ड (दक्षिण)
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
देहरादून। — विपक्षी

कोरम — दिनांक: 24.07.2026

श्री रजनीश माथुर — तकनीकी सदस्य
श्रीमती सुन्दरी गैरोला देवली — न्यायिक सदस्य
श्री दीपक फरस्वाण — उपभोक्ता सदस्य

निर्णय

परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद उनके विद्युत बिल संशोधित किये जाने के सम्बन्ध मे योजित किया गया है।

परिवादी का कथन है *"कि मेरे घर में बिजली का बिल ज्यादा आ रहा है। मेरा बिजली का खाता नं0–42000453311 है मेरा आपसे निवेदन है कि इस बारे में कोई प्रतिक्रिया ले। मेरा कनैक्शन न0–SD66326338408 मैनें अपना बिजली का बिल भी लगाया है इस पत्र के साथ।"*

उपरोक्त के संन्दर्भ में विपक्षी उपखण्ड अधिकारी ने आख्या पत्रांक 308, दिनांकित 22/06/2026 से मंच को **अवगत कराया है** *"कि उपभोक्ता श्री प्रदीप कुमार, निवासी–हरबंशवाला, निकट काली मंदिर, वसंत विहार, देहरादून द्वारा उनके विद्युत सयोजन खाता संख्या 42000453311 का बिल ज्यादा आने कि शिकायत की है। इस सम्बन्ध में उपभोक्ता श्री प्रदीप कुमार, हरबशवाला, देहरादून के विद्युत संयोजन पर स्थापित स्मार्ट मीटर के 01.09.2025 से दिनांक 01.06.2026 तक की खपत एवं एम0डी0 की सूचना संलग्न की जा रही है। जिसमें पाया गया है कि उपभोक्ता द्वारा माह मई 2026 में अब तक की अधिकतम एम0डी0 5.227 किलोवॉट प्रयोग की गई है, जिसके*

कारण उपभोक्ता के माह मई 2026 का बिल 123 यूनिट का आया है। अतः मीटर में दर्ज एम०डी० 5.227 किलोवॉट को दृष्टिगत रखते हुए उपभोक्ता की खपत सही पायी गई है। उपभोक्ता का विद्युत बिल मीटर रीडिंग एवं वर्तमान टैरिफ के अनुसार निर्गत हुआ है।"

मंच द्वारा उभय पक्षों को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों के अवलोकन से यह सिद्ध होता है कि विवादित माह में परिवादी द्वारा स्वीकृत विद्युत भार से अधिक 5.227 KW विद्युत भार का उपयोग किया गया है।

परिवादी ऐसा कोई तकनीकि अथवा दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर सके जिससे यह सिद्ध हो कि मीटर त्रुटिपूर्ण अथवा बिल वास्तविक खपत से अधिक है।

उपरोक्त चर्चा के उपरान्त मंच का मत है कि विपक्षी द्वारा जारी किये गये विद्युत बिल परिवादी की वास्तविक विद्युत खपत के अनुरूप है तथा उसमें किसी प्रकार के संशोधन का कोई औचित्य परिलक्षित नहीं होता। अतः इस परिस्थिति में परिवादी को कोई अनुतोष प्रदान नहीं किया जा सकता है। अतः वाद खारिज किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रस्तुत वाद खारिज किया जाता है। उभय पक्ष एक दूसरे से किसी प्रकार का प्रतिकर/वाद–व्यय प्राप्त नहीं करेंगे। ***इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर विद्युत औम्बड्समैन, 80, बसंन्त विहार, देहरादून में अपील कर सकते हैं।*** पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

24-7-2026 | 24/07/2026 | 24/07/2026

(सुन्दरी गैरोला देवली)
न्यायिक सदस्य

(दीपक फरस्वाण)
उपभोक्ता सदस्य

(रजनीश माथुर)
तकनीकी सदस्य

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.V.Gabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail - cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण म
(गढ़वाल क्षे
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली
देहरादून – 2480
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 276195
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–27673
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

परिवाद सं0 52/2026

श्री जगदीश प्रसाद — परिवादी
निवासी– हरवंशवाला निकट काली मंदिर,
वंसत विहार, देहरादून।

बनाम

अधिशासी अभियन्ता — विपक्षी
विद्युत वितरण खण्ड (दक्षिण)
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
देहरादून।

कोरम — **दिनांक:** 27.07.2026

श्री रजनीश माथुर — तकनीकी सदस्य
श्रीमती सुन्दरी गैरोला देवली — न्यायिक सदस्य
श्री दीपक फरस्वाण — उपभोक्ता सदस्य

निर्णय

परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद विद्युत बिल अत्याधिक आने के सम्बन्ध में योजित किया गया है।

परिवादी का कथन है कि " *मेरे घर में बिजली का बिल ज्यादा आ रहा है, मेरा खाता संख्या 40105023172 है। मेरा आपसे निवेदन है की इस बारे में जल्द से जल्द एक्शन ले। मेरा कनेक्शन नं0 SD1631581751 है, मैने बिजली का बिल भी साथ मे लगाया है।*"

उपरोक्त के संन्दर्भ मे विपक्षी उपखण्ड अधिकारी ने आख्या पत्रांक 306 दिनांकित 22/06/2026 से मंच को अवगत कराया गया है कि "*उपभोक्ता श्री जगदीश, निवासी– हरबंशवाला, निकट काली मंदिर, वसंत विहार,*

देहरादून द्वारा उनके पिताजी के संयोजन खाता संख्या 40105023172 का बिजली का बिल ज्यादा आने की शिकायत की है। इस संबंध में दि0 20.06.2026 को उपभोक्ता श्री जगदीश, हरबंशवाला, देहरादून के विद्युत संयोजन का निरीक्षण किया गया तथा द्वारा में उपलब्ध विद्युत उपकरणों का कुल विद्युत भार 5.96 किलोवाट पाया गया। मीटर संख्या 5618344 में रीडिंग 2333 के0डब्ल0एच0 एवं अधिकतम डिमांड (एम0डी0) 2.97 किलोवॉट पाई गई। सुलभ संदर्भ हेतु चैकिंग रिर्पोट बुक संख्या 65, कम सं0 43 की छायाप्रति संलग्न है। अतः निरीक्षण के दौरान पाये गये विद्युत उपकरणों जैसे फ्रिज–1, पंखे–4,टी0वी0–1, कूलर–1, विन्डो ए0सी0–1, वाशिंग मशीन–1, गीजर–1, एल.ई.डी. ट्यूब लाईट–4 (कुल भार 5.96 किलोवॉट) के सापेक्ष मीटर में दर्ज एम0डी0 2.97 किलोवॉट को दृष्टिगत रखते हुए उपभोक्ता की खपत सही पायी गई है। उपभोक्ता का विद्युत बिल मीटर रीडिग एवं वर्तमान टैरिफ के अनुसार निर्गत हुआ है। स्मार्ट मीटर में उपभोक्ता के माह सितम्बर 2025 से दि0 01.06.2026 तक की खपत एवं एम0डी0 की सूचना भी संलग्न की जा रही है।"

मंच द्वारा उभय पक्षों को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। परिवादी द्वारा मंच के समक्ष प्रस्तुत शिकायत मे यह कथन किया गया है कि उनके विद्युत संयोजन पर विद्युत बिल अत्यधिक मात्रा मे प्रेषित किए जा रहे हैं, जो वास्तविक उपभोग के अनुरूप नहीं है। अतः प्रेषित विद्युत बिलो का परीक्षण कर संशोधन किए जाने की प्रार्थना की गई है।

विपक्षी द्वारा सुनवाई के दौरान अपनी आख्या के अनुसार दिनांक 20.06.2026 को परिवादी के परिसर का स्थलीय निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के समय परिसर में स्थापित विद्युत उपकरणों का कुल संयोजित भार

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.VGabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail - cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र)
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रो
देहरादून – 24800
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 2761956
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–276739
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

लगभग 5.96 किलोवाट पाया गया तथा मीटर पर दर्ज अधिकतम मॉग (Maximum Demand) 2.97 किलोवाट पाई गई। निरीक्षण रिपोर्ट एवं छायाचित्र भी अभिलेख पर प्रस्तुत किए गए।

विपक्षी द्वारा यह भी स्पष्ट किया गया कि परिवादी के बिल उपभोक्ता की वास्तविक मासिक विद्युत खपत एवम् वर्तमान टैरिफ के आधार पर ही निर्गत किए जा रहे है। माह सितम्बर 2025 से दिनांक 01.06.2026 तक की विद्युत खपत एवं अधिकतम मॉग का विवरण भी अभिलेख पर उपलब्ध कराया गया, जिससे यह परिलक्षित होता है कि मीटर द्वारा दर्ज की गई खपत उपभोक्ता के परिसर मे स्थापित विद्युत भार एव उपयोग के अनुरूप है।

मंच द्वारा परिवादी के कथनों, विपक्षी की आख्या, निरीक्षण रिपोर्ट, मीटर विवरण तथा अभिलेख पर उपलब्ध समस्त साक्ष्यों का सावधानीपूर्वक परीक्षण किया गया। अभिलेखों से ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं हुआ जिससे यह सिद्ध हो सके कि विद्युत मीटर दोषपूर्ण है। इसके विपरीत विपक्षी द्वारा प्रस्तुत निरीक्षण प्रतिवेदन एव मीटर संबधी अभिलखों से यह स्थापित होता है कि परिवादी को उनकी वास्तविक मासिक विद्युत खपत के आधार पर ही विद्युत बिल जारी किए जा रहे है।

उपरोक्त चर्चा के उपरान्त मंच का मत है कि परिवादी द्वारा लगाए गए अरोप अभिलेखीय साक्ष्यों से सिद्ध नहीं होते हैं तथा विपक्षी द्वारा जारी किए गए विद्युत बिल नियामानुसार एवं वास्तविक खपत के अनुरूप हैं। ऐसी स्थिति में मंच को विद्युत बिलों में हस्तक्षेप किए जाने का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता है।

उपरोक्त परिस्थितियों उपरान्त उक्त वाद आगे चलाने का कोई औचित्य नही रह जाता है। अतः वाद खारिज किये जाने योग्य है।

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.V.Gabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र)
वि०क्रॉ०वि० गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रोड
देहरादून – 248001
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 2761956
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–2767395
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

आदेश

उपरोक्त परिस्थितियो उपरांत उक्त वाद खारिज किया जाता है। उभय पक्ष एक दूसरे से किसी प्रकार का वाद व्यय/प्रतिकर प्राप्त नही करेंगे। **इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर विद्युत औम्बड्समैन, 80, बसंत विहार, देहरादून में अपील कर सकता है।** पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

27-7-2026
(सुन्दरी गैरोला देवली)
न्यायिक सदस्य

27/07/26
(दीपक फरस्वाण)
उपभोक्ता सदस्य

27/7/26
(रजनीश माथुर)
तकनीकी सदस्य

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.V Gabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र)
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रोड
देहरादून – 248001
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 2761956
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–2767395
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

परिवाद सं0 53/2026

श्रीमती अनीता देवी पत्नी स्व० श्री सेवक राम — **परिवादी**
निवासी–ग्राम बडोवाला, नगर निगम
वार्ड न०–93, देहरादून।

बनाम

अधिशासी अभियन्ता — **विपक्षी**
विद्युत वितरण खण्ड (मोहनपुर)
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
देहरादून।

कोरम — दिनांक: 27.07.2026

श्री रजनीश माथुर — तकनीकी सदस्य
श्रीमती सुन्दरी गैरोला देवली — न्यायिक सदस्य
श्री दीपक फरस्वाण — उपभोक्ता सदस्य

निर्णय

परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद उनके विद्युत बिल संशोधित किये जाने के सम्बन्ध में योजित किया गया है।

परिवादी का कथन है *"कि मैं श्रीमती अनीता देवी पत्नी स्व० श्री सेवक राम, निवासी–बडोवाला वार्ड 93 नगर निगम आरकेडिया हमारा विद्युत सब स्टेशन गणेशपुर महोदय यह मेरा कार्यशल विद्युत कनैक्शन है जिसका नं० MP61403160146 व मीटर संख्या 96204349 है। महोदया हमारा हर माह बिल दो से ढाई हजार के बीच मे आता था। जो कि मई में जो बिल आया है वह बहुत अधिक रू० 49473 (उन्चास हजार चार सौ तीहत्तर रूपये) आया है। जिसकी सूचना मैंने गणेशपुर बिजली विभाग में अधिकारी को दे दी गई थी जिस पर विभाग द्वारा कोई भी कार्यवाही नहीं की गई। अतः महोदय से निवेदन है मेरे इस प्रार्थना पत्र पर कार्यवाही कर मेरा बिजली का बिल सही करवाने की कृपा करें। जिससे की मैं उचित बिल जमा कर सँकू इसके लिए मै सदैव आपकी आभारी रहूँगी।"*

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.VGabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र)
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रोड
देहरादून – 248001
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 2761956
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–2767395
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

उपरोक्त के सन्दर्भ में विपक्षी उपखण्ड अधिकारी ने आख्या पत्रांक 7189, दिनांकित 12/06/2026 से मंच को अवगत कराया है कि–

1. *"उपभोक्ता का वर्तमान विद्युत बिल उपभोक्ता द्वारा उपभोग की गई वास्तविक रीडिंग के आधार पर निर्गत किया गया है।*
2. *उपभोक्ता के परिसर पर 02 कि0वा0 का अघरेलू संयोजन लिया गया है, जिसके सापेक्ष अलग–अलग पॉच दुकाने संचालित की जा रही है, जिसमें से एक बेकरी की दुकान भी संचालित थी, जो कि वर्तमान समय पर काफी दिनों से बन्द है।*
3. *उपभोक्ता द्वारा अधिक बिल आने सम्बन्धी चेक मीटर हेतु आवेदन किया गया था, जिसके पश्चात् दिनांक 30.05.2026 को उपभोक्ता के परिसर पर चेक मीटर स्थापित कर दिया गया था। जिसकी आख्यानुसार उपभोक्ता के मैन मीटर व चैक मीटर में कोई अंतर नहीं पाया गया।*

अतः उपभोक्ता के विद्युत बिल में वर्तमान में किसी भी प्रकार का संशोधन अवशेष नहीं है।"

मंच द्वारा उभय पक्षों को सुना गया एवं पत्रावली का **अवलोकन किया गया।** परिवादी का कथन है कि बिल चक्र 05/2026 में 5143 यूनिट का रू0 49371.00 की अत्यधिक राशि का प्राप्त हुआ। परिवादी द्वारा विवादित देयता के सापेक्ष कई बार विद्युत विभाग को अवगत कराया, तथापि विवाद का समाधान नहीं हुआ।

विपक्षी उपखण्ड अधिकारी ने मंच के निर्देशो के क्रम में सुनवाई तिथि दिनांक 29.06.2026 को Tamper Report प्रस्तुत की गई। उनके द्वारा मंच को अवगत कराया कि परिवादी के परिसर में अर्थ फाल्ट है, जिस कारण उनका माह मई 2026 का बिल अधिक आया है इस की पुष्टि टैम्पर रिपोर्ट से की जा सकती है, जिसमें अर्थ लोड अवधि (27.02.2026 से 09.04.206 तक) मे विद्युत उपभोग 4854.20 दर्ज कया गया है। जिसमें पाया गया कि दिनांक 09.04.2026 को Consumption During Tamper 4854.20 Kwh दर्शाया गया है।

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.VGabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कांवली रं
देहरादून – 24800
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 276195
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–276739
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

मंच द्वारा उपखण्ड अधिकारी के पत्रांक 7189 दिनांक 12.06.2026 का सज्ञान लिया गया जसमे उनके द्वारा यह माना है कि परिवादी की पॉच दुकानों (जो कि स्थापित सयोजन से संचालिय थी) में से एक बेकरी की दुकान वर्तमान समय पर काफी दिनों से बन्द है। तथापित अभिलेखों पर ऐसा कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है जिससे यह सिद्ध हो कि माननीय UERC के विनियम 5.1.2(5) के अनुरूप विपक्षी द्वारा परिवादी को अर्थ लीकेज संबंधी सूचना उपलब्ध कराई गई। अतः प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत केवल अर्थ लोड टैम्पर के आधार पर विवादित बिल को वैध नहीं माना जा सकता है।

यहाँ पर यह उल्लेख करना आवश्यक है कि मान्नीय Uttarakhand Electricity Regulatory Commission के विनियम UERC (The Electricity Supply Code, Release of New Connections and Related Matters) Regulations, 2020 के विनियम 5.1.2(5) मे अर्थिंग संबधी मामलो की बिलिंग हेतु स्पष्ट उल्लेख किया गया है जो कि निम्वत् है -

5.1.2(5) "Time of Day (ToD) meters, whever installed shall be read only through Meter Reading Instrument (MRI). **It shall be the duty of Licensee's official to read tha meter and check condition of LEDs on electronic meters. In case Earth Leakage (E/L) LED indicator,provided on electronic meters, is found 'ON' he shall inform the consumer that there is leakage in the premises and advise him to get his wiring checked and leakage removed. He shall also inform concerned officer of the Licensee about the leakage."**

[Emphasis Added]

उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि विपक्षी द्वारा उक्त प्रकरण में मान्नीय UERC के उपरोक्त विनियमो का उलघन किया गया है, जिसे मंच स्वीकार नही कर सकता है। अतः इस परिस्थिति में परिवादी को दिनांक 15.05.2026 के

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.V Gabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail - cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र)
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रोड
देहरादून – 248001
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 2761956
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–2767395
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

बिल चक्र में प्रेषित बिल को UERC के उपरोक्त वर्णित विनियम के दृष्टिगत निरस्त कर उक्त विद्युत बीजक को पूर्व के तीन एम0यू0 बिल चक्रों यथा 03/2026, 02/2026 एवं 01/2024 की औसत खपत 07.53 (182+266+253)/93 अर्थात् 08 यूनिट प्रति दिन के अनुसार संशोधित किया जाना तर्कसंगत एवं न्यायोचित होगा।

आदेश

मंच द्वारा विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि परिवादी को दिनांक 15.05.2026 के बिल चक्र मे प्रेषित बिल को UERC के उपरोक्त वर्णित विनियम के दृष्टिगत निरस्त कर उक्त विद्युत बीजक को पूर्व के तीन एम0यू0 बिल चक्रों यथा 03/2026, 02/2026 एवं 01/2024 की औसत खपत 07.53 (182+266+253)/93 अर्थात् 08 यूनिट प्रति दिन के अनुसार संशोधितकरे। इस प्रकार संशोधित बीजक पर किसी भी प्रकार का सरचार्ज देय नही होगा। आदेश की अनुपालन आख्या 30 दिनों के अंतर्गत मंच के समक्ष प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित करें। उभय पक्ष एक दूसरे से किसी प्रकार का वाद व्यय/प्रतिकर प्राप्त नहीं करेंगे। **इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर विद्युत औम्बड्समैन, 80 बसंत विहार, देहरादून में अपील कर सकता है।** पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

S/d
27-7-2026
(सुन्दरी गैरोला देवली)
न्यायिक सदस्य

27/07/26
(दीपक फरस्वाण)
उपभोक्ता सदस्य

27/07/26
(रजनीश माथुर)
तकनीकी सदस्य

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.V Gabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र)
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रो
देहरादून – 248001
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 2761956
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–276739
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

परिवाद सं0 54/2026

श्री अतुल गंभीर केयर ऑफ श्रीमती अदिरेश दत्ता
निवासी– 76 सेवक आश्रम रोड, नियर वैश्य
नर्सिंग होम, देहरादून। — परिवादी

बनाम

अधिशासी अभियन्ता
विद्युत वितरण खण्ड (उत्तर)
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
देहरादून। — विपक्षी

कोरम — दिनांक: 17.07.2026

श्री रजनीश माथुर — तकनीकी सदस्य
श्रीमती सुन्दरी गैरोला देवली — न्यायिक सदस्य
श्री दीपक फरस्वाण — उपभोक्ता सदस्य

निर्णय

The complainant registered the complaint regarding amending the inflated amount of electricity bill.

The Complainant submits and prays as under:-

"This is to inform you that my electricity connection no. 7071441125007 is being billed by the Uttarakhand Power Corporation Limited, Dehradun North, Sahastradhra Road . That from the month of August, 2024 I suddenly started receiving large amount of electricity bills against which

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.V.Gabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढवाल क्षेत्र)
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रोड
देहरादून – 248001
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 2761956
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–2767395
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

complaint was being filed by me in electricity department. The person from the electricity department visited my residence and told me that the earthing point of electricity meter has got burnt due to which electricity is passing/used even if you are not using it. I was told by the person from the electricity department to get the meter changed for which you have to file a complaint at the helpline number for electricity complaints and power outages 1912. The Complaint was being registered for change of meter and the necessary fees was also deposited by me. The electricity meter was being changed on 11/03/2025 by the electricity department and the meter sealing certificate was being given to me. After the change of the electricity meter two electricity bills were being issued at regular intervals of time with reading of the units being utilized in those periods. The electricity bills were being regular deposited through the UPI payment mode and the receipt was being saved in the mobile. The electricity were being regularly paid by me through my UPI payment application whenever they were generated by the Uttarakhand Power Corporation Limited. That in the month of April, 2026 when I saw the electricity bill payment due on my UPI application, I opened the app. Window for payment of the electricity bill and what I found was a pending Electricity bill of Rs 1,01,761.00. I got myself registered on the UPCL portal and after login it was found that the previous electricity bills were being shown as RDF under the head of

नर्सिंग होम, देहरादून के परिसर पर संयोजन सं0 7071441125007 लगा है जो कि श्रीमती अदिरेश के नाम से है। मीटर रीडर त्रुटि से रीडिंग गलत डालने के कारण विद्युत बिल RDF का बनाया गया। जिसे दिनांक 28.03.2026 को संशोधित कर दिया गया। उपरोक्त के क्रम में उपभोक्ता द्वारा चैक मीटर लगवाया गया। चैक मीटर मे भी कोई अन्तर नहीं पाया गया। संशोधित बिल पूर्णतः सही तथा रीडिंग के आधार पर बनाया गया है (MRI Report संलग्न)। अतः उपभोक्ता का विद्युत बिल को पुनः संशोधित किया जाना सम्भव नहीं है।"

मंच द्वारा पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध कंज्यूमर हिस्ट्री के अवलोकन से स्पष्ट है कि विपक्षी द्वारा परिवादी को दिनाक 17.05.2025 से 21.02.2026 अर्थात् लगभग 09 बिल चक्रों में RDF के आधार पर विद्युत बिल जारी किये गये, और उस के उपरान्त दिनांक 28.03.2026 को नया मीटर लगाये जाने के तिथि 11.03.2025 से 28.03.2026 तक संशोधित बिल निर्गत किया गया जिस पर परिवादी को आपत्ति है।

विपक्षी द्वारा सुनवाई तिथि दिनांक 15.06.2026 को प्रस्तुत आख्या का अवलोकन किया गया जिसे मंच द्वारा माननीय उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग के **Supply Code** विनियम के नियमानुसार न पाते हुए निरस्त किया जाता है।

यहाँ पर यह उल्लेख करना आवश्यक है कि माननीय **Uttarakhand Electricity Regulatory Commission** के विनियम **UERC (The Electricity Supply Code, Release of New Connections and Related Matters) Regulations, 2020** के विनियम 5.1.7(1) में त्रुटिपूर्ण/अटके

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.V.Gabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र)
वि०क्रॉ०वि० गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रो
देहरादून – 248001
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 2761956
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स-0135–2767395
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

हुए रुके हुए/जले हुए मीटर के स्थल पर रहने की अवधि में या चोरी हुय मीटरो की बिलिंग हेतु स्पष्ट उल्लेख किया गया है जो कि निम्वत् है–

5.1.7(1) "The Consumer shall be billed on the basic of the average consumption of the past three billing/cycles immediately preceding the date of the meter being found or being reported defective/stuck/stopped/burnt/stolen. These charges shall be leviable for a maximum period of 2 billing cycle during which time the Licensee is expected to have replaced the defective meter." उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि विपक्षी द्वारा उक्त प्रकरण में मीटर बदले जाने की तिथि दिनांक 11.03.2025 के उपरान्त दो MU के बिल प्रेषित किये गये जिन में अंतिम रीडिंग 2355 KWH अंकित है, इसके उपरान्त लगातार 9 RDF के आधार पर बिल प्रेषित किये गये एव इसके उपरान्त दिनांक 28.03.2026 को एकाएक 18258 यूनिट का कुल रू0 101695.00 का संशोधित विद्युत बिल प्रेषित किया गया जो कि माननीय UERC के उपरोक्त विनियन का उलंघन है जिसे मंच स्वीकार नही कर सकता है अतः उपरोक्त परिस्थिति में परिवादी को दिनांक 17.05.2025 से 21.02.2026 तक 09 RDF के आधार पर प्रेषित बिल में से UERC के उपरोक्त वर्णित विनियम के अनुसार शुरूआत के सिर्फ दो बिलों की राशि ही परिवादी से लिया जाना सुनिश्चित करे तथा शेष 7 विद्युत बिलों को पूर्णतः निरस्त करे। माननीय् लोकपाल (विद्युत) 80, वसंत विहार देहरादून के वाद संख्या 16/2026 आदेश दिनांकित 15.07.2026 के आलोक में विपक्षी उक्त अवधि के बिलों में परिवादी से

फिक्स चार्ज भी नहीं लगा एवं दिनांक 21.02.2026 से 28.03.2026 तक के बिल को निरस्त कर उक्त विद्युत बिल को MU की गणना हेतु निम्वत् :–

दिनांक 28.04.2025 को नये मीटर की रीडिंग – 2355 KWH

दिनांक 28.03.2026 को नये मीटर की रीडिग – 19130 KWH

इस अवधि में प्रति दिन विद्युत उपभोग = (19130-2355)/335

= 50.07 प्रति दिन

21.02.2026 से 28.03.2026 की = 50.07 × 36

अवधि (36 दिनों) में विद्युत उपभोग = 1802.52 = 1803 MU

संशोधित किया जाना तर्कसंगत एवं न्यायोचित होगा।

आदेश

मंच द्वारा विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि परिवादी को दिनांक 17.05.2025 से 21.02.2026 अर्थात् 09 बिल चक्रों में RDF के आधार में प्रेषित बिलों मे से UERC के उपरोक्त वर्णित विनियम के अनुसार शुरूआत के सिर्फ दो बिलों की राशि ही परिवादी से लिया जाना सुनिश्चित करें तथा शेष 7 विद्युत बिलो को निरस्त कर उक्त विद्युत बिलों में केवल फिक्स चार्ज लिया जाना सुनिश्चित करें एवं दिनांक 21.02.2026 से 28.03.2026 तक के बिल को निरस्त कर उक्त विद्युत बिल को MU की गणना हेतु निम्वत् संशोधित करें :–

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.V.Gabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढवाल क्षेत्र)
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉंवली रोड
देहरादून – 248001
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 2761956
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–2767395
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

दिनांक 28.03.2026 को नये मीटर की रीडिंग – 19130 KWH

इस अवधि में प्रति दिन विद्युत उपभोग = (19130-2355)/335

= 50.07 प्रति दिन

21.02.2026 से 28.03.2026 की = 50.07 × 36

अवधि (36 दिनों) में विद्युत उपभोग = 1802.52 = 1803 MU

इस प्रकार संशोधित विद्युत बीजक पर किसी भी प्रकार का सरचार्ज देय नही होगा। विपक्षी आदेश की अनुपालन आख्या आदेश प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर मंच में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। उभय पक्ष एक दूसरे से किसी प्रकार का वाद व्यय प्रतिकर प्राप्त नही करेंगे। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर विद्युत औम्बड्समैन, 80, वसन्त विहार, देहरादून में अपील कर सकता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

17-7-2026	17/07/26	17/07/2
(सुन्दरी गैरोला देवली)	(दीपक फरस्वाण)	(रजनीश माथुर)
न्यायिक सदस्य	उपभोक्ता सदस्य	तकनीकी सदस्य

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.V.Gabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मं
(गढ़वाल क्षे
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रो
देहरादून – 2480
दूरभाष 0135–2769745, 2769755, 276195
कार्यालय 0135–2763672–75 फैक्स–0135–276739
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

परिवाद सं0 55/2026

श्री नरेश चन्द्रा,
निवासी– लेन नं0-10,
बद्री केदार कॉलोनी, गणेशपुर, देहरादून।

परिवादी

बनाम

अधिशासी अभियन्ता
विद्युत वितरण खण्ड (मोहनपुर)
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
देहरादून।

विपक्षी

कोरम

दिनांक: **17.07.2026**

श्री रजनीश माथुर	तकनीकी सदस्य
श्रीमती सुन्दरी गैरोला देवली	न्यायिक सदस्य
श्री दीपक फरस्वाण	उपभोक्ता सदस्य

निर्णय

The complainant registered the complaint with the request for inspection of meter to dismiss the possibility of incorrect recording of electricity consumption.

The Complainant submits and prays as under:-

"I want to bring to your notice a serious electricity issue that started after the installation of the smart meter at our residence. Even when all the switches and bulbs are turned off, the bulbs continue to glow dimly. We are concerned that this issue may affect our electricity consumption and result in an incorrect or increased electricity bill in the coming months if not checked immediately. We have already registered complaints on 24 May 2026, 26 May 2026, and 28 May 2026. However, despite multiple complaints, no action has been taken so far.
Complaint No. – 22405260405
Address – Lane 10, Badri Kedar Colony, Ganeshpur, Dehradun, Uttarakhand

The complainant, Mr. Naresh Chandra, is currently serving as an on-duty Army Officer and may not be available personally. Therefore, he authorizes his wife, Mrs. Sonika Devi, to represent him regarding this matter. We request you to kindly send the concerned official/electrician at the earliest to inspect the meter and resolve the issue as soon as possible."

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.V.Gabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रो
देहरादून – 24800
दूरभाषः 0135–2769745, 2769755, 2761956
कार्यालयः 0135–2763672–75 फैक्स–0135–2767395
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

उपरोक्त के सन्दर्भ में विपक्षी उपखण्ड अधिकारी ने आख्या पत्रांक 7192, दिनांकित 12/06/2026 से मंच को अवगत कराया है *"कि शिकायकर्ता श्री नरेश चन्द्रा की ऑनलाईन शिकायत क्रमांक 22405260405 के सापेक्ष स्थालीय निरीक्षण करने पर पाया गया की कार्यदायी सस्था M/s Garhwal Smart Metering Pvt. Ltd. के द्वारा अनुबन्धित कर्मचारियों द्वारा उपभोक्ता का इलेक्ट्रोनिक मापक के स्थान पर स्मार्ट मीटर स्थापित करने के दौरान अनुबंधित कर्मचारियों द्वारा उपभोक्ता के मीटर कनैक्शन विपरीत (अर्थात न्यूटल को फेस में एवं फेस को न्यूट्रल) में जोडने के कारण उपभोक्ता के परिसर पर यह समस्या उत्पन्न हुई थी। अतः उपभोक्ता के ऑनलाईन आवेदन पर लाईन मैन द्वारा परिसर पर जाकर मापक में लाईन को सही जोडतें हुयें समस्या का निराकरण कर दिया गया है, जिससे कि वर्तमान में उपभोक्ता सन्तुष्ट हैं।"*

परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद में कथन किया गया है कि उसके परिसर में स्मार्ट मीटर लगाए जाने के उपरान्त, मुख्य स्विच एवं सभी विद्युत उपकरण बंद होने के बावजूद बल्ब मंद रूप से जलते रहते थे, जिससे अनावश्यक विद्युत खपत एवं भविष्य में अधिक विद्युत बिल आने की आशंका उत्पन्न हो गई थी। परिवादी द्वारा इस संबंध में विभाग के समक्ष अनेक ऑनलाईन शिकायतें दर्ज कराए जाने के बावजूद समस्या का समाधान नहीं किया गया।

मंच द्वारा विपक्षी को नोटिस जारी किए जाने के उपरान्त विपक्षी ने आख्या के माध्यम से स्वीकार किया है कि परिवादी की ऑनलाईन शिकायत संख्या 22405260405 के क्रम में स्थल निरीक्षण कराया गया। निरीक्षण में यह तथ्य प्रकाश में आया कि कार्यदायी संस्था M/s Garhwal Smart Metering Pvt. Ltd. के कर्मचारियों द्वारा स्मार्ट मीटर स्थापित करते समय मीटर के कनेक्शन में त्रुटि कर दी गई थी, जिसके कारण न्यूट्रल को फेज से तथा फेज को न्यूट्रल से जोड़ दिया गया था। विपक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि उक्त त्रुटिपूर्ण संयोजन के कारण ही परिवादी के परिसर में यह समस्या उत्पन्न हुई।

विपक्षी द्वारा अपनी आख्या में यह अवगत कराया गया है कि परिवादी की ऑनलाईन शिकायत प्राप्त होने के उपरान्त विभागीय लाईनमैन को मौके पर भेजकर विद्युत लाईन का संयोजन नियमानुसार सही कराया गया, जिसके फलस्वरूप परिवादी की शिकायत का पूर्ण समाधान कर दिया गया तथा वर्तमान मे परिवादी संतुष्ट है।

मंच द्वारा उभय पक्षों को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। विपक्षी द्वारा स्वयं यह स्वीकार किया गया है कि शिकायत विभाग/कार्यदायी संस्था द्वारा स्मार्ट मीटर स्थापित करते समय की गई त्रुटिपूर्ण वायरिंग के कारण उत्पन्न हुई थी। साथ ही यह भी स्वीकार किया गया है कि उक्त त्रुटि का निराकरण कर दिया गया है।

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.V Gabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मं
(गढ़वाल क्षे
वि0क्षे0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रो
देहरादून – 24800
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 276195
कार्यालय 0135–2763672-75 फैक्स–0135–276739
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

उपरोक्त चर्चा के उपरान्त मंच का मत है कि विपक्षी द्वारा परिवादी की मूल शिकायत का समाधान कर दियें जाने के फलस्वरूप वाद आगे चलाने का कोई औचित्य नहीं रह जाता है। अतः वाद निस्तारित किये जाने योग्य है।

आदेश

विपक्षी द्वारा परिवादी की मूल शिकायत का समाधान कर दिये जाने के फलस्वरूप निस्तारित किया जाता है। उभय पक्ष एक दूसरे से किसी प्रकार का प्रतिकर/वाद–व्यय प्राप्त नहीं करेंगे। ***इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर विद्युत औम्बड्समैन, 80, बसंत विहार, देहरादून में अपील कर सकते हैं।*** पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

17-7-2026
(सुन्दरी गैरोला देवली)
न्यायिक सदस्य

17/07/26
(दीपक फरस्वाण)
उपभोक्ता सदस्य

17/07/2
(रजनीश माथुर)
तकनीकी सदस्य

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.V Gabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र)
वि०क्रॉ०वि० गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रोड
देहरादून – 248001
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 2761956
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–2767395
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

परिवाद सं0 57 / 2026

श्रीमती कल्पना रावत,
निवासी– मकान नं०–01,
लेन नं०–09, लोअर गढवाली
कॉलोनी, नेहरूग्राम, देहरादून।

परिवादी

बनाम

अधिशासी अभियन्ता
विद्युत वितरण खण्ड (रायपुर)
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
देहरादून।

विपक्षी

कोरम

दिनांक: 30.07.2026

श्री रजनीश माथुर — तकनीकी सदस्य
श्रीमती सुन्दरी गैरोला देवली — न्यायिक सदस्य
श्री दीपक फरस्वाण — उपभोक्ता सदस्य

निर्णय

परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद उनके विद्युत बिल संशोधित किये जाने के सम्बन्ध में योजित किया गया है।

परिवादी का कथन है कि–

1. *"मेरा विद्युत कनेक्शन संख्या 9771223403936 खाता संख्या 4231363582 है।*
2. *माह अप्रैल 2026 को मीटर जलने के बाद मेरे द्वारा Toll Free नम्बर पर शिकायत दर्ज करवाई गई जिसके उपरान्त विभाग द्वारा 27 अप्रैल 2026 को मेरा नया मीटर लगाया गया जिसकी मीटर रीडिंग 0 थी।*
3. *माह अप्रैल 2026 में मेरे द्वारा दिनांक 13 अप्रैल 2026 तक का विद्युत बिल संख्या 39530260413000046 जमा किया गया था।*
4. *नया मीटर लगने के बाद विद्युत बिल संख्या 530260606005629 जारी किया गया है, जिसकी रीडिंग 533 है, किन्तु उपयोग यूनिट 1162 दर्शाई गई है।*

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.V Gabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र)
वि०क्रॉ०वि० गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रोड
देहरादून – 248001
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 2761956
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–2767395
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

5. *यदि इसमें पुराने जले हुए मीटर की रीडिंग को शामिल किया गया है तो उसका बिल मूल्यांकन जिस स्लैब के अन्तर्गत किया गया है, उससे मेरा बिल बहुत अधिक आया है।*
6. *मैं अपने नये मीटर की एम०आर०आई० रिपोर्ट भी चाहता हूँ।*

अतः समस्त बिलों की प्रति एवं मीटर सीलिंग प्रमाणक आपकी सेवा में संलग्न कर इस आशय से प्रेषित कर रही हूँ कि मेरे शिकायत का संज्ञान लेकर यथोचित कार्यवाही करने की कृपा करेंगे।"

उपरोक्त के संन्दर्भ में **विपक्षी उपखण्ड अधिकारी ने आख्या पत्रांक 926, दिनांकित 20/06/2026 से मंच को** अवगत कराया **है** *"कि मा० UERC के नियमानुसार उपभोक्ता के मीटर के IDF ADF RDF होने पर विद्युत बिल उपभोक्ता की गत तीन Billing Cycle की औसत खपत के अनुसार बनाया जाता है। शिकायतकर्ता के मीटर को दिनांक को 27.04.2026 को बदला गया था, एवं उपभोक्ता का अन्तिम MU बिल 13.04.2026 को निर्गत किया गया था इसके उपरान्त उपभोक्ता के मीटर के जल जाने के कारण दिनांक 14.04.2026 से 27.04.2026 तक कुल 14 दिन की खपत उपभोक्ता के विगत तीन Billing Cycle (1530 यूनिट) कुल 92 दिन की औसत खपत (16.63 यूनिट/प्रतिदिन) के आधार पर निर्गत कर संशोधित किया गया है। व उपभोक्ता के वर्तमान मीटर की MRI भी इस पत्र के साथ संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।"*

मंच द्वारा पत्रावली का अवलोकन किया गया। परिवादी की मुख्य शिकायत यह थी कि माह अप्रैल 2026 में मीटर जल जाने के उपरान्त नया मीटर लगाए जाने के बाद जारी विद्युत बिल में अत्यधिक यूनिट अंकित की गई, जिससे विद्युत देयक असामान्य रूप से अधिक हो गया। साथ ही परिवादी द्वारा नए मीटर की एम0आर0आई0 रिपोर्ट उपलब्ध कराने का अनुरोध भी किया गया।

विपक्षी द्वारा उपरोक्त के क्रम में अपने लिखित उत्तर दिनांक 20.06.2026 के माध्यम से अवगत कराया गया कि उपभोक्ता का मीटर दिनांक 27.04.2026 को बदला गया। मीटर के IDF/ADF/RDF होने की स्थिति में UERC (Elecctricity Supply Code) के प्रावधानों के अनुसार मीटर के जलने की अवधि का विद्युत उपभोग उपभोक्ता के विगत तीन बिलिंग चक्रों की औसत खपत के आधार पर निर्धारित किया गया। विपक्षी द्वारा यह भी स्पष्ट किया गया कि

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.V.Gabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail - cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र)
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रो.
देहरादून – 248001
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 2761956
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–2767395
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

दिनांक 14.04.2026 से 27.04.2026 तक की अवधि का बिल औसत खपत के आधार पर संशोधित कर दिया गया है। तथा वर्तमान मीटर की एम0आर0आई0 रिपोर्ट मंच के समक्ष प्रस्तुत कर दी गई है।

मंच के समक्ष उपलब्ध अभिलेखों से यह स्पष्ट है कि परिवादी की शिकायत के संबंध में विपक्षी द्वारा आवश्यक परीक्षण कर UERC के प्रावधानों के अनुरूप बिल का पुनर्मुल्यांकन किया गया है तथा अपेक्षित एम0आर0आई0 रिपोर्ट भी उपलब्ध करा दी गई है। इस प्रकार परिवादी की मुख्य शिकायत का निराकरण विपक्षी द्वारा कर दिया गया है। उपरोक्त चर्चा उपरान्त मंच इस मत का है कि विपक्षी द्वारा परिवादी की विद्युत बिल संबंधी शिकायत का निवारण विद्युत बिल संशोधित कर, कर दिये जाने के फलस्वरूप वाद निस्तारित किये जाने योग्य है।

आदेश

विपक्षी द्वारा परिवादी की शिकायत का समाधान कर दिये जाने के फलस्वरूप वाद निस्तारित किया जाता है। उभय पक्ष एक दूसरे से किसी प्रकार का प्रतिकर/वाद–व्यय प्राप्त नहीं करेंगे। ***इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर विद्युत औम्बड्समैन, 80, बसंन्त विहार, देहरादून में अपील कर सकते हैं।***

पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

30.7.2026	30/07/26	30/07/26
(सुन्दरी गैरोला देवली)	(दीपक फरस्वाण)	(रजनीश माथुर)
न्यायिक सदस्य	उपभोक्ता सदस्य	तकनीकी सदस्य

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.V Gabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र)
वि०क्रॉ०वि० गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रोड
देहरादून – 248001
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 2761956
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–2767395
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

परिवाद सं0 61 / 2026

मै० यू०ए० हैल्थ सैन्टर,
निवासी–107 / 108, चन्द नगर कैंप,
108, एमरजेंसी एबुलेंस, देहरादून। — परिवादी

बनाम

अधिशासी अभियन्ता
विद्युत वितरण खण्ड (केन्द्रीय)
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
देहरादून। — विपक्षी

कोरम — दिनांक: 28.07.2026

श्री रजनीश माथुर — तकनीकी सदस्य
श्रीमती सुन्दरी गैरोला देवली — न्यायिक सदस्य
श्री दीपक फरस्वाण — उपभोक्ता सदस्य

निर्णय

The complainant registered the complaint regarding Excess Amount of Billing.

The Complainant submits and prays as under:-

" *Please note that letter copy submitted in local sub div office today after meeting with section officer Gaurav saklani ji as we have not received any satisfactory answer from him. attached letter copy with receiving. Amt of rs 153575 paid yesterday through NEFT in ac ending with 9228, PNB as we are paying regularly through same NEFT mode in same account everymonth, please provide receipt for same and share updated bill as total payable amt as per mail chain is rs 248894 and paid 153575 therefore now balance /disputed amt as per UPCL is rs 95319/-. We asked for additional amt details today but concerned office staff was unavailable so we will visit again tomorrow for additional amt breakup month wise for our understanding that how meter was slow and why not rectifying this issue permanently as last year same meter slow charges charged from us , approx. 1.10 lakh. The additional charges raised as arrears are arbitrary.*

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.V Gabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135-2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र)
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रोड
देहरादून – 248001
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 2761956
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–2767395
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

unjustified and liable to be withdrawn. The alleged meter defect, if any, was within the knowledge and control of UPCL. The consumer cannot be saddled with retrospective liability arising out of the licensee's failure to inspect, test, maintain or replace the meter in time. The burden of proving under-recording and the basis of assessment lies upon UPCL. Until supporting records and calculations are supplied and the objection is adjudicated, the disputed amount deserves to be withdrawn."

उपरोक्त के संन्दर्भ में विपक्षी उपखण्ड अधिकारी ने आख्या पत्रांक 3036, दिनांकित 27/06/2026 से मंच को अवगत कराया है *"कि दिनांक 29.06.2026 को खण्ड कार्यालय में उक्त प्रकरण से सम्बन्धित अधिकारी किन्हीं आवश्यक कार्यवश उपस्थित रहने में असमर्थ है। यह भी अवगत कराना है कि वर्तमान में राजस्व वसूली का अभियान अपने शीर्ष चरण पर है, अतः सभी अधिकारी/कर्मचारी अपना सम्पूर्ण योगदान उक्त अभियान में लगा रहे है जिस कारण से उनकी उपलब्धता काफी अल्प है। अतः आपसे अनुरोध है कि उक्त कारणों से आख्या प्रस्तुत करने हेतु एक सप्ताह अर्थात दिनाक 06.07.2026 तक समय विस्तार देने की कृपा करें।"*

विपक्षी द्वारा एक अन्य आख्या पत्रांक संख्या 3271, दिनांकित 13.07.2026 से मंच को निम्नवत् अवगत कराया है *"कि उपभोक्ता मै० यू०ए० हैल्थ सेंटर, संयोजन संख्या CD0K000000115 के परिसर पर स्थापित पुराने मीटर (5705765) पर करंट मिसिंग होने के कारण दिनांक 02.05.2026 को चैक मीटर संख्या 8104506 स्थापित किया गया, जिसे दिनांक 11.05.2026 को फाइनल किया गया जिसमें उपभोक्ता का पुराना मीटर 25.6 प्रतिशत कम ऊर्जा खपत को अंकित करता हुआ पाया गया। जिसके सापेक्ष खण्ड कार्यालय द्वारा पुराने मीटर के परिवर्तन तिथी से मीटर फाइनल की तिथि 11.05.2026 तक निर्धारण रू० 380595.00 किया गया एवं उपभोक्ता के लेजर मे धनराशि जोडी गई। उपभोक्ता द्वारा उक्त निर्धारण के विरूद्ध अपना प्रत्यावेदन दिनांक 16.06.2026 को खण्ड कार्यालय में प्रेषित किया गया। उक्त प्रत्यावेदन के निस्तारण हेतु प्रकरण का पुनः अवलोकन करते हुए एम०आर०आई० की जाँच की गई एवं यह ज्ञात हुआ कि उपभोक्ता का मीटर माह दिसम्बर 2025 से कम ऊर्जा खपत अकिंत कर रहा है। अतः खण्ड द्वारा माह दिसम्बर 2025 से दिनांक 11.05.2026 तक का निर्धारण रू०*

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.V Gabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र)
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रो
देहरादून – 248001
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 2761956
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–2767395
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

96280.00 किया गया व उपभोक्ता के विद्युत बीजक में जोडी गई अतिरिक्त धनराशि रू0 284315.00 को घटाया गया।"

मंच द्वारा उभय पक्षों को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध प्रस्तुत अभिलेखों, विपक्षी की लिखित आख्या, विद्युत परीक्षणशाला की रिपोर्ट, एम0आर0आई0 परीक्षण के निष्कर्ष एवं अन्य उपलब्ध अभिलेखों का परीक्षण किया गया।

पत्रावली का अवलोकन करने पर पाया गया कि मीटर की रिकॉर्डिंग संबंधी तथ्य तकनीकि परीक्षण से स्थापित हुआ है। तथापि यह भी उतना ही महत्वपूर्ण तथ्य है कि विपक्षी द्वारा प्रारम्भिक निर्धारण को अंतिम नहीं माना गया तथा स्वयं पुनः परीक्षण कर रू0 2,84,315/– की राशि कम कर दी गई। इससे स्पष्ट है कि प्रारम्भिक निर्धारण पूर्णतः सही एवं अंतिम नहीं था।

वर्तमान प्रकरण में विपक्षी द्वारा संशोधि निर्धारण जारी कर दिया गया है तथा परिवादी द्वारा संशोधित देय राशि का भुगतान बिना किसी अभ्यावेदन के कर दिया गया है जो कि अधिशासी अभियन्ता के प्रतिनिधि के पत्र दिनांक 20.07.2026 से स्पष्ट होता है। वाद की अन्तिम सुनवाई के दिन परिवादी उपस्थित नहीं थे जिससे उपरोक्त तथ्यों के क्रम में मंच का मानना है कि परिवादी संशोधित निर्धारण से संतुष्ट है। अभिलेखों से यह भी परिलक्षित नहीं होता कि संशोधित निर्धारण के अतिरिक्त कोई अन्य विवादित राशि वर्तमान में शेष है।

अतः मंच की दृष्टि में इस स्तर पर विवाद का प्रभावी रूप से समाधान हो चुका है तथा प्रकरण में आगे चलाने को कोई औचित्य नहीं रह जाता है। अतः इस परिस्थिति में उक्त वाद निस्तारित किये जाने योग्य है।

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.V.Gabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र)
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कांवली रोड
देहरादून – 248001
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 2761956
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–2767395
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

आदेश

उपरोक्त परिस्थियो उपरात उक्त वाद निस्तारित किया जाता है। उभय पक्ष एक दूसरे से किसी प्रकार का वाद व्यय / प्रतिकर प्राप्त नही करेंगे। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर **विद्युत औम्बड्समैन, 80, बसंत विहार, देहरादून में अपील कर सकता है।** पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

28-7-2026	28/07/26	28/7/24
(सुन्दरी गैरोला देवली) न्यायिक सदस्य	(दीपक फरस्वाण) उपभोक्ता सदस्य	(रजनीश माथुर) तकनीकी सदस्य